nt>
Title: Moved the motion for consideration of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 1998. Motion for Consideration - adopted

18.31 hrs.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : Shrimati Sushma Swaraj, do you want to say something?

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैं बोल रही हूं।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, माननीय संचार मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो बिल पेश किया है, वह दोनों सदन में पास हो चुका है इसलिए इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे पास कराइये।

... (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): That is not our opinion. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Jaipal Reddy, the hon. Minister wanted to speak. After that, you can react.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): Sir, you have allowed Shri Mulayam Singh Yadav to express his opinion. Please hear us also. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: After the Minister's speech, I will allow you.

SHRI P.C. CHACKO : I am not on what she is going to say. I am on what Shri Mulayam Singh Yadav has said. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Chacko, what do you want to say?

SHRI P.C. CHACKO : Sir, the proceedings of the House are going in a half-hearted manner. We are concerned about the proceedings of the House. You must protect it. This is not the way. After the List of Business has been received by us, you cannot change it without the consent of the House. Whatever may be the discussion in the BAC or in other forums, when you are

changing the List of Business, you must take the sense of the House. When certain adopted principle is being violated, the Chair must protect it.

The next item in the Revised List of Business is discussion regarding problems of SCs/STs. Unfortunately, the mover of the discussion is not here. Sir, it is a question relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Their plight in the country is an important issue. ...(Interruptions) Sir, whatever decision you finally take, we will abide by that. Please understand our anxiety also. Mr. Chairman, Sir, when the rules are being violated, you must protect it.

A suggestion has come from Shri Mulayam Singh Yadav that there need not be any discussion on the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 1998. First of all, we do not agree with that. We

want a full-fledged discussion on this Bill.

Sir, this Bill was passed in 1990 and now we are in 1998. So many things had happened in between. When this Bill was passed and an Ordinance was promulgated by the former Minister, Shri S. Jaipal Reddy, the whole country welcomed it. If we are going back today, we should have a discussion on that. ...(Interruptions) We are not going to pass the Bill without any discussion. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Your Chief Whip is aware about the decision of the BAC. With the consent of the Leaders, the Chair has taken this decision. Please hear me first.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Chair has already given a ruling on this.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Hon. Chairman, Sir, a serious mistake is being committed unknowingly. The BAC is not above the House ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Fatmi, I will allow you after Prof. Kurien.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I have allowed Prof. Kurien to speak.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, please sit down. I will allow you.

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, I submit that today the matter was discussed in the Business Advisory Committee. It was decided that after the discussion regarding the situation in the North-Eastern region, Prasar Bharati Bill would be taken up. Two hours' time has also been allotted for this Bill. Earlier, four hours' time was allotted but for lack of time, we reduced it to two hours. This was the position in the Business Advisory Committee. The question raised by the hon. Members is that if in spite of that, this should be announced in the House, then the consensus of the House should be sought. My humble submission is, please take the consensus of the House. There is no problem. We will stick to the decision. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not make noise.

PROF. P.J. KURIEN : We are not going back on the commitment given in the BAC. Only a technical question was raised. The Chair may kindly address that question.

My second point is regarding the point raised by my hon. friend, Shri P.C. Chacko. Regarding the extension of the time also, what has been suggested by the hon. Minister is that the time may be extended till the Prasar Bharati Bill is passed. That is not an extension. Extension should be limited to time. So, the extension may also be limited to time. Let there be discussion. After discussion, we can pass the Bill. (Interruptions)

SHRI LALU PRASAD (MADHEPURA): He will explain to you.

MR. CHAIRMAN: I will allow him.

PROF. P.J. KURIEN : Sir, Shri Radhakrishnan has raised a point of order.

MR. CHAIRMAN: I will allow him later.

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): सभापति महोदय, बिजनस ऐडवाईज़री कमेटी में बड़े विस्तार से आज और अगले सप्ताह जो मामले सदन में आने हैं, उनके बारे में बातचीत हुई।

... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिजनस ऐडवाईजरी कमेटी की बात यहां नहीं हो सकती।

... (व्यवधान)

आप नियम देख लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : ठीक है। जो भी फैसला हुआ हो, नियम १९३ के मूवर श्री राम विलास पासवान को कुछ काम है, वे यहां नहीं हैं, उनकी मौजूदगी में यह फैसला हुआ था।

... (व्यवधान)

प्रसार भारती बिल को हर हालत में आज पास करेंगे।

... (व्यवधान)

उन्होंने तय कर दिया कि चार तारीख को बहस होगी। इसलिए हमारी अपील है कि प्रसार भारती बिल को आज पास कराया जाए, उसके बाद जो करना है करिए।
... (व्यवधान)

SHRI AJIT JOGI (RAIGARH): The proceedings of the BAC cannot be discussed in the House.

MR. CHAIRMAN: We are not discussing the proceedings of BAC.

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Sir, what Prof. Kurien has said is very correct. There is a technical lacuna. Please resolve that lacuna. Whatever decision the Business Advisory Committee had taken and if the hon. Speaker has announced that, we must follow that. It was a decision of the Business Advisory Committee. Let us not discuss what all went inside because that is not supposed to be discussed in the House.

SHRI P.C. CHACKO : Sir, a point of order has been raised.

MR. CHAIRMAN: I will allow him.

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, बिजनस ऐडवाईजरी कमेटी में हमको नहीं बुलाया जाता। किस स्तर के नेता वहां जाते हैं, हम नहीं जानते। क्या तय हो जाता है, यह भी नहीं जानते। मैं बीच में पता करने गया था कि मैम्बर्स का सैलरी बिल आएगा या नहीं।

उस समय ये सभी नेता बैठे थे और बैठकर शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स के हालात के डिस्कशन के मामले में नेताओं का, बुद्धिजीवियों का वृहद इंटलैक्चुअ ल डिस्कशन हो रहा था। हम लोग पार्टी नहीं हैं, आप इसको शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स के मामले में डिस्कशन कराइये और प्रसार भारती बिल को हम बिना बहस के पास करने के पक्ष में हैं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): It has been notified that the Bill would be taken into consideration. That is the understanding I got. But in this particular case it is a peculiar legislation because the provisions of the original Act have to be validated. In the meanwhile there was an Ordinance; the Government did not do anything and allowed the Ordinance to lapse. Now they are trying to get the Bill passed without a discussion. I say that there should be a full-fledged discussion.

MR. CHAIRMAN : There is no point of order.

SHRI BUTA SINGH (JALORE): My point of order arises out of Rule 25 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha which says that the business which has been set for the day cannot be altered. What Shri Ajit Jogi, Shri Chacko and Shri Hannan Mollah have pointed out is not a simple question of putting off the Discussion under Rule 193, which must have been taken up, which Laluji says that intellectuals were discussing. It is a very sad commentary that the discussion about the most weaker sections of the society, the people who have been exploited has been treated so shabbily by this Government.

If this agenda was to be altered the hon. Members should have been taken into confidence. And you, as the Chairman, are duty bound. You cannot allow this thing to happen because it is a procedural matter and you have to guide the procedure of this House. You should have announced in the House that this has been altered with the permission of the Speaker. That has not been done. Therefore, the hon. Members have raised this question. It is not because they want to stall the proceedings. We have to proceed according to the rules. Kindly regulate the proceedings in a manner that an impression does not go out to the country that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are treated shabbily. Kindly give your ruling.

MR. CHAIRMAN: Shri Buta Singh, based on the decision of the BAC the Speaker has himself made this observation and announced it. The Mover of the Discussion under Rule l93 was on the BAC.

Now Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं मुलायम सिंह जी की और लालू जी की बहुत धन्यवादी हूं, जिन्होंने यह प्रस्ताव सदन में रखा है और इस तर्क पर आधारित करके रखा है,

मुलायम सिंह जी ने और लालू जी तर्क देकर यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि यह बिल दोनों सदनों से एक बार सर्वसम्मति से पास हो चुका है इसलिए इसे अब बिना चर्चा के पास किया जाए, इस पर निर्णय आपको और हाउस को करना है। अगर यह बिल बिना चर्चा के पारित होना है तो मैं सीधे-सीधे पारित कराने का प्रस्ताव ले आती हूं, आप वोटिंग कराकर इसे पास करवाएं। अगर आपको चर्चा करानी है तो मैं चर्चा से भाग नहीं रही। कुरियन जी कह रहे थे कि इसके लिए दो घंटे अलाट हुए हैं। अब आप चाहें तो दो घंटे, चार घंटे, छः घंटे या आठ घंटे चर्चा करवाएं, मैं सदन में बैठूंगी और आपके एक-एक प्रश्न को सुनकर उसका उत्तर देने को तैयार हूं। अगर चर्चा कराकर पास करना है तो पहले मैं सुनूंगी और जवाब दूंगी, अगर बिना चर्चा के पास करना है ... (व्यवधान) कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, राजो सिंह जी भी कह रहे हैं कि बिना चर्चा के पारित करना है, तो आप इसे पारित कराएं।

MR. CHAIRMAN : From this side, please do not make noise.

... (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, सदन में और सदन के बाहर महिलाओं के प्रति, महिला आरक्षण बिल के प्रति बड़ी चर्चा हुई, लोगों ने बड़ा दर्द दिखाया है। माननीय मंत्री जी भी महिला हैं, ये चारों तरफ घूम रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि पास करो, पास करो, इसलिए इसको बिना चर्चा के पास करवाएं।

... (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : ऐसे गम्भीर विषय को इस तरह से नहीं लेना चाहिए।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, if you want to speak, I will give you a chance.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, I have given the floor to Shri Chacko.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Madam, if you want to speak, I will give you a chance. The Business Advisory Committee has decided about the time and other things.

... (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Sir, if the discussion is to take place, then please fix up the time. (Interruptions).

SHRI P.C. CHACKO : Sir, I have one request. The hon. Minister is very kind enough to sit even for four hours or six hours. She is not bothered about the Committee's decision. This being such an important matter, I will come to the importance of it which has necessitated the discussion at this point of time. So, in that kind of a situation, I hope the suggestions made by Shri Pathak and other hon. Members may not be insisted upon because this House is basically meant for discussion. The hon. Minister is well prepared to reply any questions. That is what she has said.

Sir, there are many questions which went unanswered for the last so many days. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: The Business Advisory Committee has recommended for two hours. If you want to speak, you can speak.

श्रीमती सुषमा स्वराजः अगर आप बिना चर्चा के पारित करा रहे हैं तो करा दीजिए, अगर चर्चा करानी है तो मैं मूव करते हुए बात रखूंगी कि बिल क्या है। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The Minister is on his legs.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): Madam, you yourself have agreed for a discussion. So, kindly show patience. Already I have started. Hon. Chairman has called my name, so I am on my legs...(Interruptions).

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Then let me move the Motion...(Interruptions).

MR. CHAIRMAN : Shri Chacko, please sit down.

SHRI MADHUKAR SIRPOTDAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, there is a proposal before the House that this Bill should be passed without discussion. You have to take the sense of the House and then act accordingly. We are going to the same position. That is wrong.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I have already moved the Motion.

SHRI P.M. SAYEED (LAKSHADWEEP): Sir, the Business Advisory Committee has fixed two hours for this Bill. Now the Minister has moved the Motion and you have called Shri Chacko to initiate the debate... (Interruptions).

SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRI MUFTI MOHAMMED SAYEED (ANANTNAG): I am only asking him whether we are going to sit here. Before I say anything, do not jump to any conclusion. What I am asking is whether we are going to sit. That is the only thing I am asking.

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR (MANGALORE): Sir, you will have to take the sense of the House. There is a majority opinion in the House that there shall not be any discussion on this Bill and that without discussion this Bill should be passed. That is the majority opinion in the House. So, you will have to take the sense of the House...(Interruptions). You may please take the sense of the House...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Jaipal Reddy.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have given chance to Shri Jaipal Reddy. Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): Mr. Chairman, Sir, majority comes into play when it comes to voting; majority cannot be invoked with a view to blocking discussion. So, you please go ahead with the discussion. The Government and those who vote for the Bill will be judged at the bar of history, but then we would not like to go ahead on record without submissions.

SHRI P.C. CHACKO : Sir, I will go by the sense of the House, but the sense of the House is not the majority decision. Sense of the House means, the opinion of the House. Majority of the Members feeling one way is not the sense of the House. So, kindly see that it is a unanimous decision of the House. ...(Interruptions) Sir, the change which has been suggested is even crossing the decision of the BAC. The BAC has decided two hours for the discussion. So, any change is not even according to the BAC. The Minister has agreed for a discsussion... (Interruptions).

PROF. P.J. KURIEN : Mr. Chairman, Sir, I humbly submit that there have been precedents....(Interruptions). I am speaking only to help you. Sir, there have been precedents in this House where suggestions have been made to pass a Bill without discussion. There is no harm in doing that...(Interruptions).

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): How can you say that? Such an important Bill is being discussed... (Interruptions).

PROF. P.J. KURIEN : Please do not do like that. Let me complete first.

Sir, because there were interruptions, so I am repeating. There had been suggestions in the House for passing the Bill without discussion...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Dhananjaya Kumar, why do you interrupt him?

PROF. P.J. KURIEN : Do not suppress discussion. It is very unfortunate, Sir. Let me have my say.... (Interruptions).

PROF. P.J. KURIEN : I am saying that there is no harm in that suggestion. But when such suggestions are given, there was no occasion in this House when those suggestions were passed by majority; those suggestions were accepted if there was a complete unanimity. Even if one Member objects and says that he wants a discussion, the discussion has to be allowed because consensus means unanimity and not majority.

Now, let me come back to this issue. There is nothing to discuss about this. It is already announced that discussion for two hours will be there. After allowing the discussion, all those who want to oppose or support the Bill, let them have their say. After two hours, the House may be extended sufficiently for one and a half hours or two hours or whatever may be the period. After discussion, this Bill may be passed. This is all I want to say. .... (Interruptions) Even if one Member objects, they cannot do that. What do they want? They want to pass the Bill without discussion. What is this?

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी (बांदा): इस पर पहले डिसकशन हो चुका है।

PROF. P.J. KURIEN : Shrimati Sushma Swaraj came to the BAC and requested that this Bill should be allowed to be discussed and passed. She gave an assurance on the basis of which we all agreed that this Bill may be brought, discussed, and passed. If today they take a decision that the Bill should not be discussed, we will boycott. There is no other way, and they can do anything.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, the suggestion not to

discuss the Bill and to pass the Bill without discussion came from important leaders like Shri Mulayam Singh Yadav and Shri Lalu Prasad. That is why, the point came when she responded saying that if they all agreed, the Bill could be passed without discussion. Otherwise, she said that she would first have her introductory speech and then the Bill could be discussed. We are prepared for the discussion. But when we say take the sense of the House, it does not necessarily mean unanimity.

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अब तक तो पास हो गया होता।

SHRI RAM NAIK: That is what I also wanted to say. If a section of the House wants to discuss it, we have no objection in discussing it. You may take the sense of the House and decide. We have no objection. .... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : We will go by discussion. The hon. Minister will first move the Bill.

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): सभापति जी, प्रसार भारती विधेयक मैंने इसी सत्र के पिछले खण्ड में प्रस्तुत किया था, उसे आज विचार के लिए सदन के सामने रखा है। बिल को प्रस्तुत करते हुए, मैं थोड़ी बात इसलिए कहना चाहती हूं, क्योंकि इस बिल के बारे में तरह-तरह की भ्रान्तियां और तरह-तरह की मिथ्या धारणायें फैलायी हुई हैं और फैलाई जा रही हैं। मैं थोड़ी सी बात अगर प्रारम्भ में कह दूं, तो सही जानकारी के आधार पर सदन में चर्चा हो सकेगी। मैं कुछ बातें इसीलिए सदन में पहले कहना चाहती हूं।

जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा और सब जानते हैं कि यह बिल कोई नया बिल नहीं है। यह बिल दोनों सदनों के द्वारा १९९० में सर्वसम्मति से विस्तृत चर्चा के बाद पारित हुआ था, लेकिन सात वर्षों तक यह बिल नोटिफाई नहीं हुआ। हमारी सरकार जब १९९६ में आई और मुझे सूचना व प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैंने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा था कि मैं प्रसार भारती बिल को नोटिफाई करूंगी, लेकिन वह सरकार १३ दिनों में चली गई और मैं नोटिफाई नहीं कर सकी।

19.00 hrs.

उसके बाद देवेगौड़ा जी की सरकार में श्री सी.एम. इब्राहीम, सूचना और प्रसारण मंत्री बने, तब भी यह बिल नोटीफाई नहीं हुआ। गुजराल जी की सरकार में जब जयपाल रेड्डी जी मंत्री बने तो इन्होंने अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पूरी करते हुए इस बिल को नोटिफाई किया, क्योंकि जब बीच-बीच में सांसद ज्ञापन देते थे कि बिल को नोटिफाई किया जाए तो मैं और जयपाल रेड्डी जी उन ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वालों में शरीक होते थे। आज यहां जयपाल जी बैठे हैं, वह इस बात के साक्षी हैं कि जब उन्होंने बिल को नोटीफाई किया उस समय मैं विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। विपक्ष में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते मैंने इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और इन्हें हृदय से बधाई दी। एक महिला पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लेते हुए यहां तक कह दिया कि ऐसे लगता है जैसे आप ट्रेज़री बैंचिज़ से बोल रही हैं, मंत्री से ज्यादा प्रसन्न हैं तो मैंने कहा कि हां, मीडिया को आटोनोमी देना हमारा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को मैं पूरा करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। आज मेरे साथी जयपाल जी ने उसे नोटिफाई किया है इसलिए निश्चित तौर पर वह बधाई के पात्र हैं, बेशक मैं इधर बैठी हूं लेकिन मैं पूरी तरह उनकी सराहना करूंगी। परन्तु मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस एक्ट को नोटनफाई तो जयपाल रेड्डी जी ने १९९० में कर दिया लेकिन जब उसे लागू करने का समय आया तो एक अध्यादेश लाकर उसके कुछ प्रमुख प्रावधान इन्होंने समाप्त कर दिए हैं।

मैं यहां कहना चाहूंगी कि हम सब ने मीडिया को स्वायत्तता देनी चाही थी, स्वच्छन्ता नहीं। यही कारण है कि जिस समय १९९० का बिल यहां पेश हुआ था तो उस पर संशोधन कांग्रेस की तरफ से आए थे और सीपीआई, सीपीएम और बीजेपी ने स्वीकार किए थे। यह उस समय की बात है जब वी.पी. सिंह जी की सरकार थी और पी. उपेन्द्र जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, जिस समय यह बिल पास हुआ था। उस समय संशोधन लाकर इस बिल में ऐसे प्रावधान रखे गए थे जिससे स्वायत्तता तो पूरी हो लेकिन प्रसार भारती की जवाबदेही, एकाउंटेबिलिटी इस संसद के प्रति भी बनी रहे और देश के प्रति भी बनी रहे। उसमें प्रावधान किया गया था कि एक २२ सदस्यीय सांसदों की समिति होगी, जिसमें १५ सदस्य लोकसभा के होंगे, सात सदस्य राज्यसभा के होंगे और जिन उद्देश्यों के लिए यह बिल लाया गया है उनकी पूर्ति प्रसार भारती कर रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा, इसका अवलोकन यह समिति करेगी। संसद के प्रति प्रसार भारती जवाबदेह बने, इस दृष्टि से संशोधन लाया गया था। उसमें एक और प्रावधान ब्राडकास्टिंग काउंसिल का था।

आम तौर पर सदन के अंदर और बाहर आप यह चर्चा सुनते हैं कि फलां कार्यक्रम में अश्लीलता, हिंसा, अनावश्यक यौन की बहुत बातें है, फलां कार्यक्रामों में या विज्ञापनों में इस तरह के विज्ञापन हैं जो अबोध बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। देश के प्रति इसकी जवाबदेही देखते हुए ब्राडकास्टिंग काउंसिल का प्रावधान किया गया। उसमें दो सांसद लोकसभा के, दो सांसद राज्यसभा के और दस अन्य लोग जो प्रतिष्ठित हों, विभिन्न क्षेत्रों के हों, उनकी एक ब्राडकास्टिंग काउंसिल बनेगी और जनता को यह मंच मिलेगा। जनता उस ब्राडकास्टिंग काउंसिल के सामने शिकायत कर सकेगी कि फलां कार्यक्रम खराब है, इस पर रोक लगनी चाहिए। वह ब्राडकास्टिंग काउंसिल एक कलेक्टिव विस्डम में, सामूहिक बुद्धिमत्ता और विवेक के चलते निर्णय करेगी ताकि उन कार्यक्रमों की अश्लीलता या हिंसा पर रोक लगे।

महोदय, इन्होंने संसदीय समिति को भी समाप्त कर दिया और ब्राडकास्टिंग काउंसिल को भी समाप्त कर दिया। १९९० के एक्ट में प्रावधान था कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, उनकी आयु सीमा ६२ वर्ष की होगी। उस समय ऐसे भी प्रस्ताव आए थे कि ५८ वर्ष आयु होनी चाहिए और जिसे चिदम्बरम जी लाए थे, कोई और नहीं लाया था, लेकिन ६२ वर्ष की समय-सीमा तय कर दी गई। किसी भी कार्पोरेशन में, किसी भी कांस्टीटयूशनल फंक्शनरी के लिए हमेशा आयु की

सीमा तय की जाती है लेकिन इन्होंने उस अध्यादेश से वह समय-सीमा समाप्त कर दी, बढ़ाई नहीं, कुछ और नहीं लगाई बल्कि समाप्त कर दी, यानी ७०-८०-९० वर्ष मर्जी के अनुसार किसी भी उम्र का आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना सकें।

महोदय, १९९० के एक्ट में यह प्रावधान था कि जो बोर्ड के सदस्य होंगे वह राज्यसभा की तर्ज में रोटेशन के तौर पर लगाए जाएंगे ताकि इस संस्था में परिवर्तन के साथ निरंतरता बनी रहे। हर दो वर्ष में दो लोग बदले जाएंगे, चार पुराने चलते रहें और दो नये आते रहें, माडर्न ट्रेंड और पुरानी चीज की कंटीन्यूटी बनी रहे।

इन्होंने इस अध्यादेश में उसे भी समाप्त कर दिया। सभापति जी, उस एक्ट में एक प्रावधान था क्योंकि करोड़ों रुपये की सम्पत्ति सरकार से प्रसार भारती कॉरपोरेशन को ट्रांसफर हो रही थी, इसलिए एक पूर्णकालिक सदस्य(वित्त) उसमें रहेगा, जो सारी चीजों के फाइनेंशियल एस्पैक्ट को देखेगा। इन्होंने उसकी पूर्णकालिक सदस्यता भी समाप्त कर दी। केवल एक डायरेक्टर के तौर पर रखा और फुल-टाइम मैम्बर फाइनेंस इन्होंने समाप्त कर दिया।

सभापति जी, ४० हजार कर्मचारी सरकार से प्रसार भारती में जा रहे थे और वह एक संक्रांतिकाल था। इतने कर्मचारी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके वेतन, उनके ग्रेड, उनके कैडर संबंधी पच्चिसियों समस्याएं उपजती हैं, इसलिए उसमें एक पूर्णकालिक मैम्बर (वित्त) की व्यवस्था थी, इन्होंने उसे भी समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया, यह तो ये ही बताएंगे, जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं चर्चा को प्री-एम्प्ट नहीं करना चाहती। इनके सारे सवालों के जवाब अगर मैंने पहले दे दिये तो जयपाल रेड्डी जो आज सुबह से बहुत बेचैन हैं, इनकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। इसलिए ये चर्चा कर लें, इसके बाद मैं जवाब दूंगी। लेकिन क्यों बदला, इसका जवाब मेरे पास है।

सभापति जी, इन्होंने ६ चीजें अध्यादेश के द्वारा बदलीं और यह भी बता दूं कि ये अध्यादेश उस समय लाए जब संसद सम्मन हो चुकी थी। जयपाल रेड्डी मेरे पास उधर बैठते हुए अध्यादेश विरोधी रहे हैं, सरकार से मांग करते रहे हैं कि अध्यादेशों से राज नहीं चलाना चाहिए और जब संसद सम्मन हो जाए, उस समय पर आर्डिनेंस लाने के तो ये घोर विरोधी रहे हैं। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्री के नाते संसद सम्मन हो जाने के बाद ये सारे परिवर्तन जयपाल रेड्डी ने अध्यादेश के माध्यम से किए।

सभापति जी, उसके बाद इनकी सरकार चली गयी। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। इनकी केयर-टेकर गवर्नमेंट थी और केयर-टेकर गवर्नमेंट होने के नाते इन्होंने दुबारा उस अध्यादेश को रिप्रोमलगेट किया, दुबारा उसके लेकर आए। लेकिन जिस समय यह सरकार आई और इस सरकार ने आने से पहले अपने मैनिफेस्टो पर और आने के बाद राष्ट्रीय एजेंडा पर गवर्नेंस बनाया तो हम लोगों ने साफ उसमें लिखा कि प्रसार भारती की जवाबदेही हम वापस लाएंगे, प्रसार भारती का पुराना एक्ट हम बहाल करेंगे, इस अध्यादेश को लैप्स हो जाने देंगे। इसलिए कई बार जो यह बात उठती है कि यह तो सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है, मैं सभापति जी, सदन के फर्श पर खड़े होकर कहना चाहता हूं कि यह रिटन एजेंडा है, यह ओपन एजेंडा है, यह देश को विश्वास में लेकर कह कर आए थे कि प्रसार भारती की जवाबदेही हम बहाल करेंगे, हम अध्यादेश को लैप्स हो जाने देंगे और हम प्रसार भारती का पुराना एक्ट वापस लाएंगे।

सभापति जी, इस नयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे दुबारा मिली और उस नेशनल एजेंडे पर गवर्नेंस के तहत जो हमने कमिटमेंट की थी उसको पूरा करके हमने उस आर्डिनेंस को लैप्स हो जाने दिया। अभी राधाकृष्णन जी कह रहे थे कि आर्डिनेंस को लैप्स कर दिया, आर्डिनेंस को लैप्स करने का हमारा डिसिजन था, हम नेशनल एजेंडे पर गवर्नेंस लिखकर आए थे और हमने अध्यादेश को लैप्स हो जाने दिया। जब अध्यादेश लैप्स हो गया तब एक प्रश्न उभरा कि क्या अध्यादेश के लैप्स हो जाने से पुराना एक्ट स्वभाविक रूप से रिवाईव हो गया। इस पर मैंने कानूनी सलाह मंगाई। सभापति जी, मैं इस बात को सदन के साथ शेयर करना चाहती हूं कि दो कानून सलाह आईं। एक मत यह आया कि अध्यादेश के लैप्स होते ही एक्ट रिवाइव हो गया है, पूरी तरह से रिवाइव हो गया है और आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, आप पुराने एक्ट के तहत आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी ओपीनियन यह आई कि एक्ट तो रिवाइव हो गया है लेकिन कुछ एन्डयूरिंग नेचर के एक्शन जो उस एक्ट के तहत हो गये थे उनके बारे में अस्पष्ट है, इसलिए बेहतर होगा अगर आप एक्ट को दुबारा रिइनेक्ट कर दें तो एक बार यह हो जाएगा कि सरकार की मंशा एक्ट को पुनः लाने की है।

अध्यक्ष जी, मेरे सामने दोनों विकल्प थे और शायद सुविधा का विकल्प यह था कि मैं पहला मत स्वीकार करती और सीधे आर्डिनेंस के लैप्स होते ही आगे बढ़ जाती। लेकिन मैंने पहला रास्ता नहीं चुना। मैंने कहा कि सरकार की मंशा दुबारा रिइनैक्ट करने की है तो हम दुबारा अपनी मंशा व्यक्त करेंगे और हम बिना एक्ट को इनैक्ट किए ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं एक बात और कहना चाहती हूं। यह जो दूसरा रास्ता मैंने चुना, उसके लिए भी दो माध्यम मेरे पास थे। एक माध्यम अध्यादेश का था जो जयपाल रेड्डी ने चुना था।

मैं भी अध्यादेश कर सकती थी। यह वैसा ही है, जैसा बिल है। उसका संविधान में प्रावधान है। मैं उस दूसरे रास्ते को चुनते हुए अध्यादेश से उस रास्ते को पूरा कर सकती थी लेकिन मैंने वह रास्ता नहीं चुना। मैंने कहा कि मैं संसद के सामने क्यों न जाऊं, अपनी बात खुल कर वहां क्यों न रखूं, पूरी संसद को विश्वास में क्यों न लूं, पूरी संसद की सहमति की मोहर इस बिल पर क्यों न लगवाऊं? मैंने अध्यादेश का रास्ता नहीं चुना। मैं बिल लेकर आई और जैसे ही सत्र प्रारम्भ हुआ, मैंने बिल इंट्रोडयूस कर दिया। पिछली बार इन लोगों ने बिल लगने नहीं दिया। जब यह सत्र शुरु हुआ, जैसे ही फाइनैंशल बिजनस खत्म हुआ, जैसे रेल बजट और आम बजट खत्म हुआ, मैंने चाहा कि यह बिल लग जाए। मैंने इसे २१ तारीख को लिस्टिड करवाया जिससे बिल लग जाए, पूरी संसद इस पर चर्चा करे, इस पर सहमति की मोहर लगाए लेकिन उसके ऊपर का जो झगड़ा, झंझट चला, वह आपने देखा। मैं दोबारा फिर स्पीकर साहब से रिकवैस्ट करके यह बिल लेकर आई। मैंने आज भी चाको जी से कहा कि मैं बिल चर्चा के लिए लाई हूं, मैंने कहीं भी मूव करते हुए यह प्रस्ताव नहीं रखा कि यह बिल बिना चर्चा के पारित करें। यह उधर से प्रस्ताव आया। मुलायम जी और लालू जी को लगा कि अगर दोनों सदनों से बिल पारित है तो दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उस पर रिस्पौंड करते हुए कहा कि अगर पूरा सदन चाहता हूं कि बिना चर्चा के पारित हो तो बिना चर्चा के पारित हो सकता है, वरना मैं चर्चा के लिए तैयार हूं।

मैंने पहले एक वाक्य में कहा था कि स्वायत्ता देनी चाहिए थी, स्वछंदता देनी नहीं चाहिए थी। आज प्रसार भारती को काम करते हुए आठ महीने हो गए। जितनी बार भी प्रसार भारती से संबंधित प्रश्न इस सदन में लगे हैं, बहुत उत्तेजित होकर संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं, शिकायतों का अम्बार लग जाते हैं। मुझे यह कहते हुए दुख है कि प्रसार भारती की यह सोच है कि अगर चारों तरफ से शिकायत है तो यह हमारी निष्पक्षता का प्रमाण है लेकिन यह नकारात्मक सोच है। अगर किसी को शिकायत नहीं तो यह निष्पक्षता का प्रमाण होना चाहिए। अगर सब को शिकायत है तो यह मनमानी का प्रमाण है, निष्पक्षता का प्रमाण नहीं है। मैं अपने

साथियों से कहना चाहती हूं कि यह बिल उन शिकायतों को समाप्त करने की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा भारी कदम है। जवाबदेही के बिना केवल स्वछंदता नहीं आती, स्वछंदता उदण्डता की हद तक भी पहुंचती है और कभी-कभी निरंकुशता की हद तक भी पहुंचती है लेकिन जवाबदेही का सिद्धांत, व्यक्ति कोई भी हो, मैं केवल व्यवस्था की बात कर रही हूं, अगर जवाबदेही का अभाव होता है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी निरंकुश बनने लगता है लेकिन प्रिंसिपल ऑफएकाउंटेबिल्टी व्यक्ति को सोबर, निष्पक्ष, जिम्मेदार बनाता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि जितनी अस्पष्टताएं इस बिल में रह गई हैं, वे सारी की सारी एक बार स्पष्ट कर दी जाएं। यह जवाबदेही का सिद्धांत वापस आ जाए, ब्रॉडकास्टिंग कौंसल वापस लौट आए, सी.ई.ओ. की आयु सीमा फिर से निर्धारित हो, बोर्ड के रोटेशन का प्रावधान जो कि निरंतरता और परिवर्तन का एक प्रतीक है, वह वापस आ जाए, मैम्बर फाइनैन्स फुल टाइम हो जाए, मैम्बर परसोनल फुल टाइम हो जाए ताकि संसद के लोग संसदीय समिति के माध्यम से देख सकें कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह बिल लाया गया था, वह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसलिए उस ज वाबदेही के सिद्धांत को वापस लाने के लिए मैं तमाम अपने साथियों को चर्चा से पहले ये चीजें बताना चाहती हूं कि इसमें क्या बातें हैं?

मैं एक बात और कह दूं जो चर्चा में आएगी। उसका पहले निराकरण हो जाना चाहिए। मैंने जब इस बिल पर कनसैंसस बनाने की कोशिश की तो मैंने सब से बात की। मैंने जयपाल रेड्डी जी के घर में जाकर बात की। कांग्रेस के फ्लोर लीडर से बात की, सी.पी.आई., सी.पी.एम. से बात की। कामरेड इन्द्रजीत जी बैठे हैं। मैंने उनसे बात की। मैंने सब से बात की। मेरे से बात करने के बाद सब संतुष्ट थे। वे यहां क्या भूमिका लेंगे, मैं कह नहीं सकती? लेकिन एक प्रश्न उभारा कि मैं यह बिल इसलिए ला रही हूं कि इसमें बी.जे.पी. और आर.आर.एस. के लोगों को भरना चाहती हूं। मैं इस शंका का निराकरण इस सदन के फर्श पर खड़े होकर कर दूं कि इस एक्ट में कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है। यह एक्ट कहता है कि प्रसार भारती बोर्ड का साधारण सदस्य से लेकर चेयरमैन तक की नियुक्ति एक चयन समित करेगी और वह चयन समिति तय है। उसमें तीन सदस्य हैं - एक चेयरमैन राज्य सभा यानी भारत का उपराष्ट्रपति, एक हैं चेयरमैन प्रेस कौंसिल जो कि निष्पक्ष व्यक्ति है और एक राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य। ये तीन लोग मिल कर चयन करते हैं। मैं यहां कह दूं कि सरकार से कोई पैनल भी नहीं मंगाया जाता।

यह भी अधिकार नहीं है कि सरकार जो पैनल दे, उसमें से कमेटी चुनेगी। कमेटी नाम मंगाने के लिये स्वतंत्र है, कहीं से नाम मंगाये। कमेटी नाम देने के लिये स्वतंत्र है और जिनका चयन करे, वह चुन लीजिये।

सभापति जी, यह आशंका निर्मूल कर देना चाहती हूं। यह धारणा निराधार है। कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है । इस बिल को स्कट्टल करने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिये यह कह दो कि इसमें बी.जे.पी. और आर.एस.एस. के आदमी भर दियॅे जायेगे ताकि लोग भयभीत हो जायें, खौफ में आ जायें। यह बात बिलकुल निराधार है और भय निर्मूल है। इसलिये करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल के बारे में जो प्रारम्भिक शंकायें थीं, उनका मैंने निराकरण कर दिया है। चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाये जायेंगे, यथाशक्ति उनका जवाब देने का प्रयास करूंगी। इतना कहकर चर्चा आगे बढ़ाने के लिये आपकी अनुमति चाहती हूं।

CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, be taken into consideration."

Shri Chacko to speak.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Shri Chacko, would you yield for a moment?

SHRI P.C. CHACKO : Yes.

MR. CHAIRMAN: Since, Shri Chacko has yielded, I call upon Shri Jaipal Reddy to speak.

"> yielded his time.

This Government is destined to be short-lived, Mr. Chairman. But I am afraid, because of this Government, some of my long-lasting friendship will be diluted, if not destroyed. I had this very unpleasant experience the other day when we discussed the Maruti Deal. My good old friend Shri Sikander Bakht lost his temper. I am afraid, I lost a bit of his friendly feelings towards me. I hope, my friendship with Shrimati Sushma Swaraj, which has been genuine and which has lasted for years, will survive this debate.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): It will not be diluted.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Before I go into the merits of the Bill, I must place on record one strong suspicion of ours. Our suspicion is that the law making process would be subverted...(Interruptions) I never came in the way of the speech of Shrimati Sushma Swaraj. Our law-making process could be subverted through by-passing Rajya Sabha. But Shri Madan Lal Khurana, on behalf of the Government, assured me and assured all of us that the Bill would be taken to Rajya Sabha if both Houses give approval to the Bill, who has the power to stop it.

This Bill was moved for consideration on the 6th June. Shrimati Sushma Swaraj conveniently slept over the Bill. She kept on having indefinite rounds of discussion without convincing many people. She pressed for it towards the end of the Session, that too, during the extended part of the Session. It only confirms our suspicion. I will be very happy if she can clarify categorically that this Bill will be taken to Rajya Sabha and not given effect to through the Ordinance which she has so strongly condemned.

Now what about this Bill? In my considered view, it is a reprehensible Bill. It seeks to remove one individual.

May I tell Sushmaji, it is a black day in the Parliamentary history of our country?... (Interruptions)... We have never said anything when she was making comments... (Interruptions)

In the Parliamentary history of our country, never was a Bill brought to displace an individual. The only object of the Bill is to displace an individual. It smacks of nauseating personal vendetta. In my view, the prestige of Parliament is plummeting on account of this process. Prasar Bharati Board took its birth a few months back. This gracious lady is delivering the dead blow to Prasar Bharati Board even during its first few months. It is very unkind of her. She brought forward the Bill now. Her intention was never to bring forward the Bill. She was under the naive impression that mere allowing of the lapsing of Ordinance would automatically lead to nullification of appointment of the Chief Executive Officer. She is, of course, a trained lawyer. I am not one. When she discovered that her assumption was untenable, she began to assume a sanctimonious posture, and say `Look, I have come to the House with a Bill. I have great respect for parliamentary forms and norms.'

Autonomy is a concept to which free India has been committed right from the beginning. It was in 1948, when Pandit Nehru speaking in the course of debates in the Constituent Assembly said that his ideal was, some day Akashvani -- then Doordarshan did not exist -- should become as autonomous as BBC. That was the statement of the dreamer, the first Prime Minister, way back in 1948. We are in 1998 now. I do not have to go through the slogans raised during JP Movement or about the report submitted by Mr. Verghese.

She referred to 1990 Act. Does Madam want to be a Rip Van Winkle who went to sleep for 20 years and came back to find out as though nothing has happened. Eight years have passed by. The Constitution of India which was drafted by the best of brains in this country, whose drafting requireddeliberations extended over four years, has been amended more than 80 times. She thinks that the legislative vision of 1990 would and should remain frozen.

Well, of course, I am not surprised. BJP's vision is frozen. It is frozen before the Christ was born. They are suffering from antediluvian vision. Therefore, I am not surprised.

When the Ordinance was promulgated on 29th October, 1997, Shrimati Sushma Swaraj was an able, active and articulate spokesperson of the BJP.

Did she say a word against the Ordinance? I challenge her to show a single piece of paper in the country in which she made a statement against the Ordinance. True, I am grateful to her for the vacuous verbal support she has extended to my measure during the early phase. But what happened to her current objections when the Ordinance was promulgated? How come no party in the country opposed it?

May I bring to your notice and through you to the notice of the House how the media reacted when the Ordinance was promulgated? I have some paper cuttings. `An act of freedom' was the description by The Outlook; `Welcome Ordinance' by India Today; The Business Standard said, `All credit to Jaipal Reddy' and I am rather embarrassed; The Financial Express,`An agenda for autonomy'; The Asian Age, `Good news, at last'. These were all said about the Ordinance.

`An act of freedom', said The Pioneer. Madam, that was the description by The Pioneer! I am not reading out from the Hindi newspapers and magazines because I am not very fluent in that language. `Some steps forward but media autonomy needs to be fiercely guarded' was the editorial of The Indian Express. It thought, that the autonomy which I granted through the Ordinance, which according to her would lead to autocracy, was not adequate. The editorial of The Times of India was: `Towards autonomy'. May I read the first sentence? Madam,

you seem to be suffering from selective amnesia like your party. The first sentence of that editorial says: `The Information and Broadcasting Minister, Jaipal Reddy, has presented a welcome Diwali gift to the nation.' Madam, this was what The Times of India said and you are the Minister of Information now.

`A Welcome Ordinance', said The Free Press Journal; `Prasar Course Correction' was what The Tribune from Chandigarh said. This was all about the Ordinance only. These were the reactions not to the notification but to the Ordinance! `Autonomy in fact' commented the first editorial of The Hindustan Times on the 1st December. The Economic Times commented: `Well done Jaipal but do something more'. (Interruptions) The hard autonomy which I gave was too much for her to stomach.

The heading of the two-column editorial of The Hindu was: `Reddy for change'. If I read the editorial, of course, Madam will have to bury her head in the sand of shame. (Interruptions) I have one difficulty. (Interruptions) It is said of ostrich that it hides its head in the sand. I am saying that Shrimati Sushma Swaraj is adopting an ostrich-like attitude.

That is what I mean when I said that.

The description of The Deccan Chronicle was, `The Media Unbound', recalling the famous phrase from `Prometheus Unbound'. So, I can go on. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I will give you a chance. Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI S. JAIPAL REDDY : I must say in fairness to Shrimati Sushma Swaraj also that she did not oppose the Ordinance. I repeat it because it bears repetition. When this Board was constituted, our Government was entering its last days. But that was not nonetheless an illegitimate act because the Government wrote to the Chairman of the Committee on 1st of December, if I am not wrong about the date, to make the selection. And the selections made by the Committee under sub-Section 4 of Section 4 of the 1990 Act was final. No Government had a say in the matter. Now, Shrimati Sushma Swaraj has allowed the Ordinance to lapse. If she had the courage of her convictions she would have placed the Ordinance on the Table of the House, moved official amendments to the Ordinance to bring it in line with today's changes, ground realities and spirit. She did not. Now, the Ordinance has lapsed. She has been deluding Members of Parliament into believing that if this Bill is passed which has now just now been moved there will be a Committee of 22 MPs. When the Ordinance lapsed, the Committee was revived. The Committee of 22 MPs was revived. How come you did not take any steps to constitute that Committee of 22 MPs?

Mr. Chairman, you may ask me as to why I did away with the Committee of MPs. Did I believe in autonomy sans accountability? No. When this Act was adopted in 1990, we did not have the system of Standing Committees. The system of Standing Committees came to be introduced when Shri Shivraj Patil was the Speaker. Now, this Prasar Bharati Board would be subject to scrutiny by the Consultative Committee, by the Standing Committee, by the Committee of 2o MPs and by the Broadcasting Council.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have already taken fifteen minutes.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That is why I have already asked Shri Jaipal Reddy to conclude.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): I do not want to interrupt you. But in the process of making your comments, you have belittled the Standing Committees and the Consultative

Committees. It was not your intention; but an impression has been created - from your speech - that you are not valuing these Committees.

SHRI S. JAIPAL REDDY : That impression is unfounded.

Nitish Sengupta Committee which was constituted after this Bill was passed, recommended the abolition of the Committee of 22 MPs in view of the fact that the system of Standing Committee had come into being. It had also recommended the abolition of Broadcasting Council and replacement of the Broadcasting Council by a single member judicial ombudsman.

So, these changes were made, keeping these things in view. ... (Interruptions) I can put up with Shri Lalu Prasad. He is known to me and I am known to him. There is no problem. He can comment. ... (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति जी, हम तो बैठे हैं।

... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): फिर आप बोल क्यों रहे हैं?

... (व्यवधान)

Why are you doing this? ... (Interruptions) Again, you are provoking him. ... (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : आपको क्यों तकलीफ हो रही है?

... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको क्या तकलीफ हो रही है।

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हम तो बैठे हुए थे।

... (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY :I have yielded to him. ... (Interruptions)

SHRI LALU PRASAD :Why are you speaking like this? ... (Interruptions)

SHRI INDRAJIT GUPTA : Because I cannot speak like you. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : हम तो बैठकर बात करेंगे।

... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): आप देख लीजिए कि कौन एंगरी है, कौन हंगरी है।

... (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, this Committee of 22 MPs was not dispensed with without proper background nor was the Broadcasting Council dispensed with without proper background. Earlier to the Ordinance, we had referred a Broadcasting Authority Bill to the Joint Select Committee. Some powers of this Broadcasting Council were to be transferred to the Broadcasting Authority. That was part of the reason why the Broadcasting Council was dispensed with.

Now, when this Board was constituted, Shrimati Sushma Swaraj made a comment as a spokesman. She called it `Politburo'. I am only bringing her comments on record. She says now that appointments are made by the High-Powered Committee. This was her comment on the appointments made by the High-Powered Committee on which she wants us to rely now.

Another spokesman of the BJP called it `Prachara Bharti', that means, `propaganda'. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Time recommended by the BAC for this was only two hours. There are so many other hon. Members who want to speak.

I have given you a lot of time; Shri Jaipal Reddy, now you may wind up since there are many other hon. Members to speak.

... (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Sir, he has already taken a lot of time; he should wind up. ... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Please understand that someone else is controlling the House. Who are you to control the House? ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Chacko, please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: My humble request to you all is not to waste time.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Jaipal Reddy, please conclude.

... (Interruptions)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, after the Prasar Bharati Board was constituted, the BJP alleged that Prasar Bharati Board was working in favour of the Congress Party. The Congress Party and the United Front also alleged that - Shri A.B. Bardhan made a statement on behalf of the UF - Prasar Bharati was working in favour of the BJP. But nobody alleged that Prasar Bharati was working in favour of the United Front....(Interruptions)...No...(Interruptions)... During election time, the time is allotted by the Election Commission and not by the Prasar Bharati...(Interruptions)... Shrimati Sushma Swaraj says that the Government does not have any power. Government has the power to call for any information from the Prasar Bharati. Government has the power to issue policy directives. Government has a lot of power. She was pretending as though the Government did not have any power at all. She knows it. It is very difficult to enlighten the enlightened. So, my point is, that we cannot simply go back to 1990 in 1998. You refer the Ordinance and the Bill either to the Standing Committee of Parliament or to the Select Committee. Let one of the two Committees consider the matter in extenso. If we get this Bill passed, it will be a bad precedent and I think Shrimati Sushma

Swaraj would like to be known as a supporter of autonomy. I am afraid that she will go down in history as an enemy of autonomy of the media.

MR. CHAIRMAN : Shri Fatma, please do not disturb.

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): सभापति महोदय, मेरा नाम फातमी है, फातमा नहीं।

... (व्यवधान)

फातमा होने पर सुषमा जी के पास जाकर बैठना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): इतना भारी-भरकम फातमा है ... (व्यवधान)

SHRI P.C. CHACKO : I thank you for your intervention also which helped to a great extent for facilitating a discussion on this important Bill today in this House. Whatever was my objection or opposition to the style of functioning of the BJP, I was under the impression till this evening that at least the senior Members of the party would welcome a Parliamentary debate. I was astonished to watch today that the whole ruling party was reluctant even to discuss a Bill of a serious magnitude....(Interruptions)...Yes, it is a fact. We have seen the impatience which was shown by your party Members half-an-hour before in this House. You were all watching... (Interruptions)... You cannot simply wish it away. This is something which happened in this House just 40 minutes before. You just cannot wish it away. I am not saying that Shri Ram Naik or Shri Khanduri or somebody is not in favour of discussion. I am talking about the impatience which was shown by this party and that is the reason for which I am opposing this Bill...(Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): You people showed your impatience and not the Members from our side...(Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): Try to understand, my dear friend. Why do you disturb everybody like this?

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): Shri Chacko, would you yield for a while?

SHRI P.C. CHACKO : Yes.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : I just want to clarify one point. Members from our side were reacting to a proposal. But as far as the question of interest in this debate is concerned, you can see the number of Members on your side and the number on this side...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Chacko, please come to the subject.

SHRI P.C. CHACKO : I am coming to that. This is about the Bill only and not anything else. After a lot of dillydallying, they have now finally come before this House. What would have happened, had the House adjourned yesterday according to the original schedule? This Session was called up to the 29th of this month. This is the extended period in which she has brought forward the Bill. They should not say about their commitment to the Bill. We know how the Government is functioning. They have issued a whip. That is why most of the Members, who are least interested in the discussion, are sitting behind you. ... (Interruptions)

SHRI BIKRAM DEO KESHARI (KALAHANDI): That is not proper. ... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : At least do not quarrel over my opinion. ... (Interruptions) Kindly allow me. ... (Interruptions) Why can you not face that criticism? It is a directive from the leadership of the party. ... (Interruptions) I am not speaking anything against him. I know that he is interested. ... (Interruptions) I am not speaking anything against him but the signal which is going from the leadership. The Members were raising their hands and saying, "No discussion; no discussion. Pass the Bill."

What is there in the Bill? ... (Interruptions) I am happy to say that whatever is the final outcome of this discussion, whatever is the final decision after the voting and whatever is the final decision of this House today, I feel proud to stand alongwith Shri Jaipal Reddy. I support this draconian legislation. It is going to become one of the blackest legislations passed by the Parliament of India for the history to come.

What is the reason for this concern? Shri Jaipal Reddy has already mentioned about it. I do not know a single Member on the Prasar Bharati Board. I do not know the Chief Executive. I do not know any of the Directors. Shrimati Sushma Swaraj, a very notable Member of the ruling party and a very efficient Minister of this Government, has brought forward this Bill. What for? It is only to tame the Chief Executive of the Prasar Bharati. Is the Government not ashamed of this? Is this powerful Government, who claim that they have a mandate of the people, not ashamed that this piece of legislation has been brought to handcuff one individual? Is this the purpose of this august House? I was finding the people of India betting for every minute and every second. They are losing this opportunity. In this House, they have the majority. They want to see that somebody is controlled and their vanity is satisfied. If that is the case, the despotic attitude behind this Bill is something which I will oppose with all my voice even if it is passed by this House.

Here some points have been framed by the hon. Member. There is nothing new. Not a word is new in what Shrimati Sushma Swaraj has said other than what has already been reported in the last few days in her Press conferences, in her meetings and in her briefings.

What are the additional things? The primary Bill was originally passed. I have been going through the debate of the House. Some of the very prominent Members of the then Opposition, that is, from Shrimati Sushma Swaraj's party, were advocating autonomy. I still remember about the ruling party. When the seat changes in this House, it changes the opinion of some of the Members. She must go through the debate which took place in 1990. What was talked about by some of the stalwarts of her party? Some of them are here today as Members of this House. They were raising an accusing finger against the Congress Party. They started saying that the media was being controlled by the Congress Party - the then ruling party. Then, probably, they never thought that they would go to that side. But today, fortunately or unfortunately, whether they have a majority or a made-up majority, they have managed to be there. Then, their opinion is changed. They are claiming to be the biggest party.

Here, autonomy is a concept. I agree with Shri Jaipal Reddy that autonomy is a concept.[There are some elements which just cannot digest the concept of autonomy. So, here I come to the point of autonomy whether it is necessary or not. Here, some hon. Members said that the Parliamentary supervision is only for autonomy. There would be a 22-Member Parliamentary Committee to oversee the functions of the Prasar Bharati. This morning what happened in this House? What is happening in this House? I have the least disregard or disrespect for the authority and supremacy of this House. But if different Members representing different parties constituting the Board of the Prasar Bharati or the Control Committee of the Prasar Bharati are going to control, what will be the shape of things in Prasar Bharati?

The potential of the electronic media has gone up many times. This electronic media in this country now is going to be controlled by a group of Parliamentarians. Basically, the duty of the Parliamentarians is not to become a part of the Executive. I differ on this ... (Interruptions) I am not yielding. If we are asked to work as a watchdog in a Parliamentary Committee, it does not mean that we become a part of the Executive. What is the work assigned to a Parliamentary Committee? The job of the Executive is not the job of the Parliamentarians. The fact that the Parliamentarians are the watchdog of democracy does not mean that they become a part of the Executive. Here the Government wants to execute the function of a Committee. The Parliamentary Committee was to oversee the functions and decide on what should be there and what should not be there. It was to decide on the quality.

Sir, finally, the cat is out of the BJP's bag. What is the quality of the programme? What is the objectionable part in the quality of the programmes? I would like to inform the hon. Minister that the world is changing. The signals in the electronic media are received from the outer space and it is beamed through various channels in India. The Government cannot stop it. The Government is not going to control anything. How is the Government proposing to control the channels, which are being beamed in India, by this Bill? What are the objectionable programmes shown on the Doordarshan, which are going to be controlled by this Bill? This Bill is not going to

have even the weight of a paper. A revolution is taking place in the electronic media. People are free to receive any channel and see any programme. In this scenario, what kind of a quality control Committee is the Government going to constitute? This is being used as a medium of propaganda.

Sir, I would like to question the intention of bringing this Bill now. As has been referred to by Shri Jaipal Reddy, originally this Bill was scheduled for a date 20 days before than this particular date. The hon. Minister was then not insisting on this Bill. She was not raising this issue in the Business Advisory Committee. The Government then was not at all interested in taking up this Bill on a priority basis. It is because, lobbying for this was going on here. It was very interesting to see that. What was happening in the last 25 days? The hon. Minister was working overtime to convince the various Party leaders in the lobby; in the Party offices. She was putting in too much labour. I do not know if she has got the right intentions. If the BJP believed that this was the right issue, then they could have got it passed in the Parliament itself. Why had the Minister then to go to the Party offices and convince people? The study classes by the hon. Minister were not necessary for the political Parties to understand the reality behind this? ... (Interruptions)

Sir, I know the BJP has got many friends and they are relying too much on them. Shri Ram Naik is very amusingly relying on the support of his new friends. I am very happy about it. Let them have the support. But the problem is that we have seen the kind of conversation that had taken place in the last many days. If the Government had the courage and conviction, then they need not have gone in for this kind of a brokery. The Government should have come before this august House, representing the people of India, and convinced us about the necessity of this Bill.

Sir, probably this is being replaced because of the stipulations of retirement of one-third of the Members of the 22-Member Parliamentary Committee and the Council which were to decide on the quality, and four to five other provisions which were amended in the Ordinance. If it was a Bill of standing, then what was the role of this Government, or the other Ministers or of the Party in passing the Bill in 1990? Those who opposed the Bill at that point of time are now for a personal vendetta; purely for personal inconvenience, and purely for satisfying their personal interest are using this Parliament to change and amend the fate and destiny of this country.

Sir, the Governments are changing. We all know that no more we can think that one Party is always going to be the supreme Party in this country. The people are supreme in this country. They sometime order us to sit in the Treasury Benches; and it is they again who command us to sit in the Opposition. We know that with the change in Governments, the Parties in power also change. But the freedom of the electronic media should not be affected by this. It is because we know the kind of influence they wield on the people. Whatever the Government might do, the people are watching them. When this Government came to power, all the vital portfolios were adulterated and infiltrated by the ideologies of this Government. Who does not know all these things?

The Delhi Government one day came out with an order banning the school girls wearing skirts and blouses and instead prescribing a uniform for them. Next day when there was a protest, the Government came out with the withdrawal of the order. What is happening in the country? Be it Maharashtra or any other State ruled by the BJP, one-by-one its authoritarian approach is coming out openly. Wherever the BJP can have its say, can get on with the majority, it is always resorting to suppressive measures. The Government wants to get away with the Bill. People have invested about Rs.50,000 crore in this electronic media; Akashvani and Doordarshan. It is not a small sum. It is the money of the people. I fully agree that this money of the people should not be misused by any group of people. Madam, you are not opposing either Shri Gill or the present Directors. I think the Government's attempt is to cut the throat of autonomy, the very basic concept of autonomy. Perhaps you, Madam, did not know that your party is against giving autonomy to media. This is what the Government is going to do. Madam, you will have to face the criticism of the people. I am sure, this is going to happen.

MR. CHAIRMAN : Please wind up. We have already taken two hours.

SHRI P.C. CHACKO : The other day there was an interesting development in the House. A very interested question was raised by one of the Members from the BJP. I should not say that it was a sponsored question because that would amount to disrespecting the Member. That question was very convenient to Shrimati Sushma Swaraj. The Minister was very happy with the question as though she was waiting for a Member from BJP itself

to ask it. She said, "I am helpless. You help me to control them. They are not doing things properly. So, you help me to control them." These sort of things have been going on in the House for the last so many days. This is not the way to get the things done. I think the Minister does not have the experience but we do have. We have sympathy for the Minister. This is not the way the Government should carry out its business everyday. The Government is breaking the democratic set up of this country in a piecemeal manner. The Government is cutting at the throat of the basic concept of autonomy.

This Bill is the product of the negative attitude of Shrimati Sushma Swaraj, the personal vendetta of the Minister and the narrow approach of the BJP towards the concept of giving autonomy to the electronic media. I oppose this move and would request the Government - I know the Minister is generous to stand any criticism - to withdraw it. If the intention of the Bill is good, then what is wrong in referring it to the Standing Committee? We would like to examine it. On the contrary, the hon. Minister wanted to pass the Bill without discussion. Most of the Bills are referred to the Standing Committees. It is good. Posterity will say that the Government should have referred this Bill to the Standing Committee. My humble submission to the hon. Minister is, not to rely on the temporary support of anybody and everybody. The Minister may see to it that this Bill is referred to the Standing Committee. This is the will of the majority. This is the sense of the House.

">

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मैंने शुरु में ही कहा कि दोनों सदनों से यह प्रसार भारती बिल पहले से पास किया जा चुका है। यदि दोनों सदनों पर हमको विश्वास नहीं है तो यह राष्ट्र के साथ बड़ा भारी धोखा है। हम लोगों ने इसे क्यों पास किया? जम्हूरे की तरह ताली मत बजाइए।

... (व्यवधान)

आपको कितना सौभाग्य मिला है कि आप अध्यक्षता कर रहे हैं। राजू बाबू हमारे दुश्मन, बगल में बैठे हुए हैं।

... (व्यवधान)

हमारे दोनों सदनों के साथियों ने इसे पास किया है, इसलिए हमने कहा कि चर्चा की जरूरत नहीं है। इस बात को हम लोगों ने समझा। इसमें मूल बात यह थी कि रेड्डी जी जब थे और मैं जेल में था, मैंने देखा कि प्रसार भारती बिल इन्होंने पास कर दिया और तुरंत आर्डिनेंस ले आए।

20.00 hrs

हम नहीं जानते हैं कि गिल साहब कौन व्यक्ति है। मैं किसी के चरित्र पर कोई सन्देह नहीं करना चाहता हूं और न कोई बात कहना चाहता हूं। शायद उसमें उम्र की बात थी कि ६२ साल तक एक व्यक्ति चेयरमैन होगा। गिल साहब को मालूम हुआ, तो कहा गया कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि उम्र का कोई हिसाब-किताब नहीं रहना चाहिए। इस बारे में सुषमा जी बतायेंगी, उनको ज्यादा मालूम होगा। समझ में नहीं आता है कि राष्ट्र में ओटोनोमी के नाम से क्या हो रहा है, हम अपने अधिकारों को दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि देश में कांग्रेस का राज था और आल-इंडिया रेडियो में हम लोगों की खबरें नहीं आती थी। सरकारी तन्त्र है, इसलिए बातों को दबा दिया जाता था। रेडियो और टीवी पर सब बातें झूठी आती थीं। हमने दूरदर्शन केन्द्र पर प्रदर्शन किया कि सच बात बोलो। मैंने कहा था कि एक तरफा बात चलती है। मैं मानता हूं कि ओटोनोमी का फैशन सा चल पड़ा है, लेकिन इस वजह से संसद सदस्यों और सरकारों की दुर्दशा हो रही है। एग्जीक्युटिव और न्यायपालिका को साथ-साथ चलना था और जिसका अधिकार सदन और एसेम्बली को है, आज अविश्वास की वजह से यह खुबसूरत व्यवस्था ओटोनोमी के नाम पर समाप्त हो रही है। यह सब बुद्धिजीवियों का खेल है। दिल्ली में राष्ट्रभर के अन्तरराष्ट्रीय बुद्धिजीवी बैठते हैं। उनको कैसे खुश किया जाए, किसको कहां बैठाया जाए और किसकों कहां रखा जाए, यह देखना होता है। यहां हम पोलिटिशियन लोग आपस में बोल रहे हैं। आरएसएस बैठ जाएगा, तो हम लोगों को मालूम है, अगर बैठा दें। अगर इनका स्टेशन गलत खबर देगा, तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमनें इलैक्शन कमीशन की ओटोनोमी को भी देख लिया है। हमारे पूर्व गृह मंत्री, इन्द्रजीत गुप्त जी, यहां बैठे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। जब मैं जेल में था, वहां पर टीवी लाकर रख दिया, मैंने देखा कि जिस

MLA

या

MP

उम्मीदवार पर कोई आरोप लग जाए, उसके बारे में खबर मत आने देना और उसको डिसक्वालिफाई कर दिया जाए। इलैक्शन कमीशन की ओटोनोमी की यह दुर्दशा हो रही है। कहीं पर ९० प्रतिशत वोट पड़ गया, तो इलैक्शन कमीशन कहता है कि उस क्षेत्र में रिपोलिंग करायेंगे। सारे कलैक्टर संसद के चुनाव में रिटर्निंग

आफिसर होते थे और इलैक्शन कमीशन सारे अधिकार चार महीने के लिए सीज कर देता है। कहता है कि नो ट्रांसफर, नो पोस्टिंग। इसके बावजूद भी जनता चुनाव में जिताकर भेजती है। यहां

MP

बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं और सभी लोग बैठे हैं, सभी जानते हैं कि ओटोनोमी के नाम पर देश में क्या होता है। कोई भी मंत्री,

MP

और उम्मीदवार गैस्ट हाउस में नहीं ठहर सकता है। दिल्ली में बिहार निवास है, चुनाव के समय में पत्रकार भी साथ आते हैं, तो यह भी कहा गया कि इन भवनो में कोई प्रैस कान्फ्रैंस भी नहीं करेगा।

फिर हम टाटा के गेस्ट हाउस में गए, वहां भी हमें किसी ने ठहरने नहीं दिया। फिर इलैक्शन कमीशन में किसी ने टेलीफोन करके यह बता दिया कि जिसमें सरकार का पैसा लगा है उस गेस्ट हाउस में कोई भी नहीं ठहरेगा, तो हम लोग कहां ठहरें? उस समय खुराना साहब मुख्य मंत्री नहीं थे तो उनके घर हम दिल्ली में कैसे जाते। यह आटोनोमी के नाम पर सारी चीज है और हम लोग यहां बैठ कर उनके लिए भूसी का इंतजाम करें। हम लोगों की क्या हालत है। सीबीआई की आटोनोमी, आर्मी बुलाएं, यह तो ठीक है। पेरलल टू सुप्रीम कोर्ट, हयूमन राइटस कमीशन, आदेश दे रहा है कि तीन लाख इसका पेमेंट करिए। समन दे रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, चारों तरफ यह हो रहा है। मेरी अगर वहां चले, मैं अगर वहां रहता, अभी तो नहीं लेकिन बहुत जल्दी वहां आऊंगा तो सारी आटोनोमी को मैं समाप्त कर दूंगा। आप अपने हाथ में पावर रखें। अगर सुप्रीमेसी पार्लियामेंट के हाथ में है तो इससे बेहतर कोई बिल हो सकता है। इसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर संदेह करें, सुषमा जी ने ठीक ही कहा कि चयन समिति में तीन व्यक्ति होंगे। आज इनकी गवर्नमेंट है, कल जब इनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, हो सकता है कि हम भी कल न रहें, मेरा कहना यह है कि एम.पीज़ पर क्यों संदेह कर रहे हैं? इसमें लिखा है, इसमें व्यवस्था है, हमने देखा है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सदस्य, जो गाइडलाईन है, फंक्शनिंग है कि भेदभाव न हो, अश्लीलता का प्रदर्शन न हो। गांव है, गवई है, टोला है और जो सरकार बोर्ड को गाइडलाईन दे उससे अगर कोई विचलित हो रहा है तो फिर संसद को इसमें उसको रिमूव करने का अधिकार है, ऐसे लोगों को हटाने का अधिकार है।

... (व्यवधान)

हमारा अगर सत्ताधारी दल है तो फाइनेंशियल कमेटी का मेम्बर चाहे तो यह नहीं दे सकते, इन्द्रजीत बाबू को नहीं दे सकते। यह जो इलैक्शन में सुधार करने के लिए चेयरमैन बने हैं।

... (व्यवधान)

अब जो बने हैं, यह आप जानें। इसलिए इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से एम.पी. नियंत्रण बोर्ड जो है उसमें सभी दलों के एम.पीज़ आएगे। चाक्को जी, हम आपके प्रशंसक हैं, जयपाल जी के बाद में आकर आपको इतना इरीटेट नहीं होना चाहिए। हम उनके प्रशंसक नहीं हैं, उनके शत्रु हैं, ये जो उधर बैठे हुए लोग हैं। ये कौन सी आटोनोमी की बात चल रही है। आज इनकी सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, हमारा तो यह कहना है कि सरकार ठीक से चले। आप टी.वी. या रेडियो पर विश्वास न करना। आप कल का जनसत्ता उठा कर देख लीजिए- क्या कोई आदमी बरसात में कहीं रैली कर सकता है?

... (व्यवधान)

आप जनसत्ता देखिए, उसमें फ्रंट पेज पर लिखा है-'लालू यादव गुंडे,' इस तरह से हमारा अपमान हो रहा है, फिर भी हम लोग चुप हैं, कुछ नहीं बोलते। यह जो इलैक्ट्रोनिक मीडिया है, ठीक है, फाइनेंस का कंट्रोल हो, इसमें जानकार आदमी होना चाहिए। आपको एक व्यवस्था रिजर्वेशन की करनी चाहिए।

जो रिजर्वेशन एस.सी.एस.टी, ओ.बी.सी. के लिए है क्योंकि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में, निगम और कॉरपोरेशन में आपको देखना होगा कि इन वर्गों का रिजर्वेशन ५० प्रतिशत होना चाहिए तथा उसको देखने के लिए नयी भर्ती के समय एक एस.सी. या ओ.बी.सी. का पदाधिकारी जरूर उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि यह सरकार का पैसा है। निगम और कॉरपोरेशन आप एटॉनोमस आप बना रही हैं तो इनमें सरकार का पैसा लगा है, इसलिए इनमें रिजर्वेशन अवश्य होना चाहिए।

सभापति जी, हम इसके घोर विरोधी हैं कि स्वायत्ता नहीं मिलनी चाहिए। स्वायत्ता के नाम पर लोग बोलते हैं कि मैं क्या करूं, अब तो बिल आ गया, तो मैंने शुरू में ही कहा कि इसमें हमको पास और फेल क्या करना है, यह तो ऑलरेडी पास है, यह तो सिर्फ हम लोगों को बोलना था और जयपाल जी का गुस्सा स्वाभाविक है। जयपाल जी हमारे बड़े शुभचिंतक हैं। जनता दल में बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध और हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन जयपाल जी कम से कम मेरे पक्ष में तो बोलते थे। इन्होंने बहुत मुनासिब काम किए। लेकिन अब इनकी भी लाचारी है। ये बेचारे गिल को सी.ई.ओ. बना गये और अब गिल गिल हो गया तो हम लोग क्या करें।

... (व्यवधान)

यह बात गिल साहब के खिलाफ नहीं है, यह संसद की सुपरमेसी है कि अगर कोई मैम्बर या जो भी आदमी खराब काम करता है, डायवर्ट करता है, विचलित होता है तो फिर संसद को पावर है कि उस पर अंकुश लगाए। इसलिए यह बिल पास है, हम लोग खाली पासिंग रैफरेंस में, क्योंकि इस बात की जरूरत पड़ गयी,

इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो ये जितने भी जनता विरोधी बिल लाएंगे जो जनता को, देश को, पिछड़े वर्गों को, गरीबों को, माइनोरिटीज को प्रभावित करने वाला होगा, ऐसे बिल को हम हमेशा के लिए सील कर देंगे, पास नहीं करेंगे। यह बिल तो पास है और पास को बढ़िया सी मोहर लगा देनी चाहिए। जयपाल जी जितना बोलें, इसको जोर लगाकर पास करिये।

">

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। इसमें जो खतरा है वह मजाक से छिप नहीं सकता है। खतरे को समझने की जिसमें क्षमता होगी वह इसके खतरे को समझेगा, नहीं तो मजाक में सोचेंगे कि इसमें कुछ खतरा नहीं है, बाद में लोगों को याद आयेगा कि इसमें खतरा क्या था।

सभापति जी, मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि जैसा पहले के वक्ताओं ने बताया कि सरकार की इसमें मंशा साफ नहीं है, इसलिए बढ़े हुए समय में लाने का जो इनका तरीका है और डिस्कशन के बिना पारित करवाने की जो कोशिश की गयी है उसी से पता चलता है कि इसकी मंशा साफ नहीं है। बाहर एक अफ वाह चल रही है कि इसे लोक सभा में पारित करवाने के बाद राज्य सभा में इसको पारित नहीं करवाएंगे और किसी तरह समय बिता देंगे और बाद में जाकर बोलेंगे कि लोकसभा ने जब पारित कर दिया तो राज्य सभा में क्या जरूरत है और इसी नाम पर आर्डिनेंस करवाकर इसको चलाने की बात बाजार में चल रही है। इस बात को मंत्री जी साफ करेंगे कि इनकी मंशा ऐसी है या नहीं है। मेरा दूसरा पाइंट यह है कि जब सॉलिसीटर जनरल ने सुझाव दिया कि आर्डिनेंस वापस आने के साथ-साथ उसकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है।

आप जिस को हटाना चाहते हैं, अध्यादेश खत्म होने के साथ-साथ वह हटेगा नहीं। जब सौलिस्टर जनरल दीपांकर गुप्ता जी ने इस सुझाव को रखा तब मिनिस्टर को इसकी याद आई कि इससे मंशा पूरी होने वाली नहीं है, तब सुषमा जी को इसकी याद आई। आप इस बिल को जानबूझकर आखिर में लाए। इससे सरकार की मंशा साफ दिखायी देती है।

इसमें उम्र की बात कही गई। क्या प्रेस कौंसिल के चेयरमैन की उम्र फिक्सड है? क्या टेलिकॉम एथॉरिटी के चेयरमैन की फिक्सड उम्र है?। हमें उम्र की बात बेमतलब लगती है। यह सही बात नहीं है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को हटाने के लिए उम्र रखी जा रही है। यह बात बिना किसी मतलब की है। ऐसा कह कर आप आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कह कर उन्हें बदनाम करना सही नहीं है। पोलिटिकल मतलब से इसको रिमूव करने की कोशिश की गई है। आप बिना किसी मतलब के किसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण इस बिल को आखिरी दिनों में लाकर पास करने की कोशिश की जा रही है। इससे आपकी मंशा पर हमें शंका होती है।

यहां सुषमा जी ने कहा कि अपने लोगों को भरने की कोशिश नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति के नुमाईंदे सरकार के ही नुमाईंदे होंगे। आप उनमे अपने लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। यह सवाल कई लोगों के दिमाग में आ सकता है। इसी तरह से आई.सी.सी.आर. में कब्जा करने का प्रयास हुआ था। उसमें जिन लोगों को बैठाया गया, उससे यहां भी शंका होना स्वाभाविक है। पार्लियामैंटरी कमेटी और बोर्ड के गठन के लिए नीतीश सेन गुप्ता की सिफारिशों के आधार पर प्रावधान किया गया है। वहां के डायरैक्टर को अपने आफिस में एक घंटा बैठने के लिए समय नहीं मिलता। वह आधा दिन मिनिस्टर के घर में रहते थे। उधर से निकलने के बाद सैक्रेटरी के घर तीन घंटे के लिए चले जाते थे। उसके बाद दूसरी कमेटी में चले जाते हैं। वे कमेटी मैम्बर्स को खुश करने में लगे रहते थे। उनका अपने बॉसेज को खुश करने में सारा समय चला जता है। इस कारण वे सही समय पर सही डिसिजन नहीं ले पाते। वहां सारे डिसिजन जल्दी लेने की आवश्यकता होती है। डिसिजन देर से लेने के कारण वहां खतरा बना रहता है। कमेटी के गठन के लिए भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही गई है। अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना संसद का काम होता है लेकिन हमने यहां देखा कि ७ लाख १४ हजार करोड़ की मांगें तीन मिनट में पास हो गईं। संसद का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इस परिस्थिति को देखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय :अब आप कनक्लूड करिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह महत्वपूर्ण डिसकशन है। अगर जल्दी खत्म करवाना चाहते हैं तो इस पर डिसकशन क्यों एलाऊ किया?

... (व्यवधान)

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is an important Bill. That is why, I have given chance to you. Shri Hannan Mollah, please hear me. It was the decision of the Business Advisory Committee. The time allotted for this Bill is two hours. I want to distribute this time to all the parties.

SHRI HANNAN MOLLAH : How much time is given to our party? Keeping that in mind, I am only making some points. Here, we do not want to discuss it. We are not discussing. Only we are raising some clarifications to which the Minister will reply...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If you want to speak for three hours, I will allow you but, only two hours' time is available. I want to distribute this time to all the parties. Then you think of how much time you will get.

SHRI HANNAN MOLLAH : I am not responsible for that. Who wasted the time of the House? ... (

व्यवधान)यह बिल एक व्यक्ति को हटाने के लिए लाया गया है। इस बिल के पीछे कोई भी मंशा नहीं है। एक व्यक्ति को हटाने के लिए संसद का समय खराब किया जा रहा है। यह संसद की गरिमा को नीचा करने की बात है।

उसके साथ-साथ मुझे यह कहना है कि कुछ लोग ऑटोनोमी नहीं चाहते। जो फ्यूडल मानसिकता है, दस लोगों से जबरदस्ती चलाना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं, आज के जमाने में ऑटोनोमी के खिलाफ जाने की कोशिश होगी तो यह देश हित में नहीं होगा।

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि हमारे देश में विविधता में एकता है क्योंकि यहां पर फैडरल सिस्टम है। अगर इस बोर्ड में सभी स्टेटस को रिप्रजेंटेशन नहीं दे सकते तो कम से कम २-३ स्टेटस को प्रतिनिधित्व अवश्य दें। रोटेशन करके इस बोर्ड में हर राज्य को प्रतिनिधित्व दें। इससे हर स्टेट को अपना सुझाव देने में मदद मिलेगी। यदि रीजनल बोर्ड बना दें तो उसमें वह पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरह के रीजनल बोर्ड बनाने से विकास कार्य हो सकते हैं। इस बिल में श्री रेड्डी ने जिन कमियों को बताया है, आपसे अनुरोध है कि आप बिल को इसी रूप में वापस लें या सिलेक्ट कमेटी के पास भेजें। मेरी सहमति सारी बातों पर नहीं है, इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हुआ अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): सभापति जी, मैने, श्री जयपाल रेड्डी और मेरे बहुत पुराने साथी श्री पी.सी.चाको ने अपना राजनीतिक जीवन एक ही साल में शुरू किया था। आज इन दोनों की तकरीर सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एडीटोरियल्स और अखबार में प्रकाशित समाचारों को पढ़ा, लेकिन यह सदन में हमें कंविन्स नहीं कर पाये कि जो कदम इन्होंने उठाया है वह बिल्कुल दुरुस्त था और कायदे-कानून और हिंदुस्तान की जनता की भावनाओं के अनुकूल था। इन्होंने यह कहा कि मंत्री जी द्वारा बिल पास करवाने के बाद सारे संसार की प्रैस उनको कोसेगी।

यह बिल १९९० में पास हुआ था। तब मैं और श्री जयपाल रेड्डी राज्य सभा के सदस्य थे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह बार-बार बहन जी से पूछते रहे कि जब मैंने आर्डीनेन्स पेश किया, क्या बहन जी ने बी.जे.पी. की स्पोक्स पर्सन होने के नाते कोई रीएक्शन दी? जिस दिन राज्य सभा में यह बिल यूनौनीमसली पास हुआ, उस समय मैं वहां मौजूद था। श्री जयपाल रेड्डी ने एक शब्द भी इस बिल के खिलाफ नहीं बोला था। लोक सभा में भी यह बिल यूनौनीमसली पास हुआ था। आज रेड्डी जी कहते हैं कि अगर यह बिल पास हो गया और हमारा आर्डीनेन्स धूमिल हो गया तो इससे प्रैस की ऑटोनोमी जाती रहेगी।

सभापति जी, प्रजातंत्र में संसद के दोनों सदन सुप्रीम हैं। क्या एक आदमी को हटाने के लिए सरकार यह बिल ला सकती है? मैं बिल और आर्डीनेन्स दोनों को देखकर एक बात कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति विशेष को इन्होंने सी.ई.ओ. बनाने के लिए पुराने बिल को दोनों सदनों ने पास कराया और इसकी धज्जियां उड़ा दीं। संसार की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली ने, जो बिल यूनैनीमसली दोनों सदनों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी और इन्होंने इसको नोटिफाई किया, उसके डेढ़ महीने के बाद आर्डीनेन्स इश्यू करते हैं।

...not to the tune of his satisfaction; but to the satisfaction of the person who was going to get this job.

उन्होंने सारे बिल को पढ़ा होगा।

I can presume. I have nothing against him.

उन्होंने सारे बिल को पढ़कर यह अंदाजा लगाया कि अगर यह पार्लियामेंटरी कमेटी रही तो

I will be responsible to them.

अगर यह ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल रही तो मेरे गले पर एक तलवार रहेगी और यही नहीं, ८०,००० करोड़ की जायदाद का मालिक एक आदमी को बना रहे हैं और आप इंडीपेन्डेन्ट फाइनेन्शियल मेम्बर को हटा रहे हैं। ४०,००० मुलाज़िमों को आप नौकरी देने जा रहे हैं, वहां ट्रांसफर हो रही हैं और मेम्बर पर्सोनल इंडीपेन्डेन्ट नहीं है। इससे ज्यादा प्रजातंत्र का गला क्या घोटा जा सकता है? क्या पी.सी.चाक्को भूल सकते हैं कि आज से चार रोज़ पहले पी.शिवशंकर जी ने इसी सदन में मांग की थी कि सोनिया जी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, वे गुजरात गई थीं फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ को देखने के लिए और वह टेलीकास्ट नहीं हुआ।

Do you expect, under such circumstances, from the hon. Minister to reply on behalf of the person who does not bother about Parliament and the Government?

पिछले दिनों एक सम्मानित सदस्य ने सवाल किया था कि टेलीविज़न पर यह प्रोग्राम नहीं दिखा रहे हैं। मेरे दोस्त पी.सी.चाक्को ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़िक्र किया। आज के सर्कमस्टैन्सेज़ में दूरदर्शन उनका मुकाबला क्यों नहीं करता? क्योंकि ऐसे आदमियों का इन पर कब्ज़ा रहा है। इस बिल की भावना १९७७ में आई थी जब ऑल इंडिया रेडियो को कांग्रेस पार्टी के नाम से पुकारा जाता था। मैं भी उस पार्टी का सदस्य था और विधायक था। जिस कदर इस बिल को यूनैनिमस पास होने के बाद ऑर्डिनेन्स में तब्दील कर दिया गया और एक आदमी को पॉवर दे दी कि चाहे वह किसी तरह से गिलोटीन करे, चाहे किसी तरह से पैसे का इस्तेमाल करे, चाहे किसी तरह से नौकरी वालों का इस्तेमाल करे, इससे ज्यादा तानाशाही प्रजातंत्र में नहीं हो सकती। मैं तो इस राय का था कि अटॉर्नी जनरल ने

या जिसने यह राय दी थी कि पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत चाहे ऑर्डिनेन्स लैप्स हो जाएगा ६ मई को और पुराना बिल ऐक्ट हो जाएगा, मैं तो उसी को सही मानता हूं। कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। यूननैनिमसली बिल पास हो और एक आदमी की खुशियों के लिए उसको ऑर्डिनेन्स में बदल दें और प्रजातंत्र का गला घोंट दें?

... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : इसके खिलाफ इनक्वायरी होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा कि आज भी इसको यूनैनिमसली पास करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

">SHRI R. MUTHIAH (PERIYAKULAM): Mr. Chairman, Sir, I thought that I need not speak on this Bill since we insisted to have the Bill passed without any discussion. Since Shri Jaipal Reddy has said something, I also want to say something. What type of autonomy was there in those days in Doordarshan and Akashvani? On January 14, viz. on Pongal festival day of Tamil Nadu, Doordarshan Kendra, Madras had announced a special programme. On the same day, a leading private T.V., `Sun T.V.', owned by the colleague of our Shri Jaipal Reddy, Shri Murasoli Maran's son, had also announced a similar special programme on that T.V. Unfortunately, on the day when this special programme was fixed by both Sun TV and Doordarshan Kendra, from early morning, all the telephone lines of the Doordarshan Kendra were jammed.

No programme had been televised on that day by the Doordarshan Kendras. They telecast some of the programmes of the Delhi Doordarshan Kendra. But no action had been taken for that sabotage and no complaint had been made with any police station on that day. They were afraid of the ruling party people in those days, so they did not make any complaint with the police station or with anyone else. After this Government took over charge on April 14, the New Year Day of Tamil Nadu, on the same lines as the Sun TV had announced a special programme, Doordarshan also announced a special programme. On January 14, all the telephone lines had been jammed and on April 14, they had cut away the cable of the lines leading to Doordarshan Kendra, and that too on the main road of Chennai, that is, Mount Road. Even about that sabotage, the Doordarshan people never cared to make a complaint to any police station. After that, we asked them what action they had taken on January 14. Being afraid of these people, they never cared to prefer a complaint with the police station on January 14, and on April 14 also they did not care to prefer a complaint with the Sun TV people. After that only, we have known that in the name of autonomy, Shri Jaipal Reddy and his colleagues have appointed some royal servants in the Doordarshan Kendras. Shri Reddy is pleading to continue with that scheme, to continue with those royal servants to be there and do favour to some of the private TVs, like Sun TV in Chennai. It is nothing but a benami feature of Sun TV and all such people are still working as royal servants of their old kings.

AN HON. MEMBER: Old masters.

SHRI R. MUTHIAH : I cannot say old masters because in the name of autonomy, how can these people be masters?

So, Sir, this type of autonomy is there and to correct it, the hon. Minister has come forward with this Bill. In the name of autonomy, we do not want these royal servants to continue in the Doordarshan Kendras and the Akashwani Kendras. They should be accountable to the Parliament in one way or the other. For that, this Bill is having some provisions and because of that, we support this Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, we had extended the time of the House by two hours at 6.30 PM and now it is 8.30 PM. So, we can extend the time by 10-15 minutes more.

MR. CHAIRMAN : We can extend the time till this Prasar Bharati Bill is passed.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

">

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके समर्थन करने के बहुत सारे कारण हैं। एकाध बार तो समर्थन में भी मेरे शब्द सुन लीजिए भले ही वे नाराजगी भरे हों। इसके समर्थन का ऐतिहासिक कारण है। इमरजेंसी में जब हम लोग २० महीने तक जेल में रहे थे, तो रात्रि में चोर की तरह पाखाने में जाकर बी.बी.सी. सुनकर, जेल में 'मीसा' और डी.आई.आर.में बंद अपने सब साथियों को जो इस देश की सही खबर थी वह सुनाने का काम करते थे। उस समय सरकार की ओर से यह कहा जाता था कि जो आकाशवाणी है वह सरकार की नीति के प्रसार का माध्यम है और हम लोग उस समय आकाशवाणी को यह मानकर चलते थे कि जनता के धन और पैसे से चलने वाला संगठन है, इसलिए इसमें जनता की खबर आनी चाहिए और इल्जाम लगाते थे कि आकाशवाणी नहीं, आल इंदिरा रेडियो है। उसके ऊपर विश्वास करना जनता ने बन्द कर दिया। इसलिए इस बिल के पीछे, इस विधेयक के पीछे ऐतिहासिक कारण है क्योंकि इसके पीछे संघर्ष जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, जब नैशनल फ्रंट की गवर्नमेंट १९८९-९० में बनी, तो दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इसे पास करने का काम किया था।

मुझे खुशी होती यदि प्रसार भारती विधेयक, जो आर्डीनेंस के रूप में आया अगर उसके गठन के १० महीनों तक जो उसने काम किया, जिसको एक्शन टेकन रिपोर्ट कहते हैं, वह भी आती। उसने किस तरह से काम किया, प्रसार भारती को गठित करने की जो मंशा थी, यदि वह भी सरकार के सामने होती, तो इस विधेयक पर बहुत साफगोई से बहस हो सकती थी। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वह प्रस्तुत नहीं किया गया है और हमारे बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे, जयपाल जी कह रहे थे, चाको साहब कह रहे थे कि एक व्यक्ति को लक्षय रखकर यह विधेयक आया है। १०वीं लोक सभा को याद कीजिए, जब एक व्यक्ति को ही लक्षय कर इस संसद में पहली बार भारत के महाधिवक्ता को बुलाकर इस देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है, इस संसद ने सुनने का काम किया था। जब कोई संस्था इस तरह एक व्यक्ति द्वारा बर्बाद की जाए, तो उसे संज्ञान में लेने की नैतिक जिम्मेदारी संसद की है और संसद को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति निशाने पर है, यदि ऐसा आरोप है, तो मैं इस आरोप में कोई दम नहीं मानता हूं। यदि एक व्यक्ति विशेष से इतनी बड़ी संस्था को बर्बाद करने का कोई प्रयास होगा जिसके ५ हजार करोड़ के असैट हैं, जिसका ३५० करोड़ रुपए का सालाना बजट है, जिसका देश के ऊपर समाज के ऊपर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, उसको औटोनामी के नाम पर संसद के प्रति जवाबदेही से अलग कर देना, मैं समझता हूं कि यह लोक तंत्र और संसदीय लोक तंत्र की मर्यादाओं और धारणाओं के विपरीत है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसलिए इस विधेयक द्वारा जवाबदेही के लिए एक प्रयास किया गया है। इसलिए भी मैं इसका समर्थन करात हूं।

सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि १७०० लोग प्रसार भारती से १० महीनों में निकाल दिए गए। पिछले १० महीनों में प्रसार भारती बोर्ड की बैठकें नहीं हुईं। उसके सदस्यों को अपमानित किया गया। लोगों ने उसमें जाना बन्द कर दिया। यदि इसी तरह से उसकी कार्यवाही चलनी है, तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कहा जाता है कि बी.बी.सी.एक औटोनौमस बाड़ी है। बी.बी.सी. भी एक पालिसी फ्रेम वर्क के अंदर काम करती है। औटोनौमी के नाम पर कोई भी औटोनौमस बाड़ी, जो हमारे संविधान की मर्यादा है, जो हमारे संविधान के द्वारा पालिसी फ्रेम वर्क तैयार किया हुआ है, उसके खिलाफ जाने का काम नहीं कर सकती और यदि वह हो जाता है, तो उसके ऊपर किसकी निगरानी रहे, यह हम केवल सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। उस निगरानी का दायित्व संसद का है, ऐसी मेरी मान्यता है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन संसदीय लोक तंत्र में सर्वोच्चता संसद की ही है। इसलिए उस फ्रेम वर्क के भीतर औटोनौमस बाडी काम करती है या नहीं, यह देखने का दायित्व संसद का होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ६० फीसदी काम जो हमारा इलैक्ट्रानिक मीडिया है, उसके ऊपर है। हमारी सभ्यता, हमारी शिक्षा, हमारी कला, हमारा साहित्य, इनकी हिफाजत का विशेष दायित्व हमारे प्रसार भारती बोर्ड के ऊपर है। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम अपनी सारी दृष्टि, हम अपना सारा दृष्टिकोण उसके द्वारा जो प्रसारित होने वाला समाचार है, उसी के ऊपर टिक कर हम प्रसारण माध्यमों के ऊपर पूरी बहस करने लगते हैं।

पिछले दस महीने में साहित्य, कला और संस्कृति में लगे हुए लोगों की कितनी उपेक्षा हुई है, इसका एक खाका इस सदन के सामने रखना चाहिए। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जब इस देश में राजाओं का समय था, तो विभिन्न विधाओं के संगीतकारों, कलाकारों का पालन उनके राजमहल में होता था। लेकिन उनके खत्म होने के बाद आकाशवाणी ने इस तरह के संगीतकारों, कलाकारों को इस देश में जीवित रखने का काम किया। खास तौर से इस देश को जिनके ऊपर गर्व है -- इस देश के शहनाई वादक बिसमिल्ला खां, आकाशवाणी की ही देन हैं। ऐसे कई कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार आकाशवाणी की देन हैं। आप मीडिया के जरिये उस चीज़ को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर पर हमें सोचने की आवश्यकता है और आज हम जब इसको पास कर रहे हैं तो इसका क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क हो इस बारे में हमें बात करनी चाहिए और एक सिलसिले की शुरूआत इन प्रचार माध्यमों के द्वारा कैसे हो, यह भी तय करना चाहिए।

एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि आकाशवाणी के उदघोषकों का जो आंदोलन चल रहा है, उस बारे में आप सोचिये। उसी तरह वहां बहुत सारे लोग दूरदर्शन में हैं, उनकी समस्याओं के बारे में सोचिये। इसके साथ साथ जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बहस कर रहे हैं तो प्रिंट मीडिया के बारे में भी हमारे देश की सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

... (व्यवधान)

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

प्रिंट मीडिया आज की तारीख में कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का एक खिलौना बनकर रह गया है, यह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। भारत सरकार ने आसान किश्तों पर ज़मीन खरीदकर उन बड़े औद्योगिक घरानों को प्रिंट मीडिया चलाने के लिए दी। उस ज़मीन की कीमत जब महंगी हो गई, भूमि पर बने हुए भवन की किरायेदारी महंगी हो गई तो उस ज़मीन को वहां छोड़कर फिर आसान किश्तों पर ज़मीन लेकर वहां घर बना रहे हैं। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इस देश को प्रिंट मीडिया ने विदेशी कंपनियों के भारत में आगमन की सबसे ज़ोर-शोर से तारीफ की, उनकी अगवानी की लेकिन जब प्रिंट मीडिया में विदेशी आने लगे तो उसका पुरजोर विरोध इस देश के प्रिंट मीडिया ने किया। उसमें काम करने वाले अखबार, काम करने वाले रिपोर्टर क्या कभी सोचने की बात करते हैं कि उनके ऊपर मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट का जो कानून था, वह भी कभी लागू होगा? बड़े व्यापक पैमाने पर पत्रकार चार दिन, दस दिन ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं। इस

देश के बड़े-बड़े अखबार ठेकेदारी पर पत्रकारों को रखने का काम कर रहे हैं। संपूर्ण मीडिया के चरित्र के बारे में केवल इलैक्ट्रानिक मीडिया ही नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया पर भी एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। तब हम इस समाज में एक सभ्य समाज की तरह काम करने की कोशिश करेंगे।

इसी सुझाव के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

MR. CHAIRMAN : Prof. Kurien, please be brief and take only three minutes.

">PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, from our Party, we have given only two names, that is, the name of Shri P.C. Chacko and myself. If the Chair allows me, I will speak. Otherwise, I will not speak.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Sir, he should be allowed to speak.

2044 hours

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): So kind of you and thank you, Madam.

Sir, I will not take much of your time, but I may go beyond three minutes. However, I will try to be brief and to the point. I am not going to refer to any controversial issue. But I have certain concerns which I would like to express. I would like to know as to how the hon. Minister is going to address those concerns.

I am not against autonomy, as referred to in this Bill or in the previous Ordinance. There is no need for going into that because much has already been said about that. So, I am not going into that. But I would like to know what you are going to do in respect of what I call as `cultural invasion' which is undermining our very basic tenets today.

As Shri P. C. Chacko has said these electronic beams can be bombarded from anywhere outside into our country and these are totally alien to our culture. The result is that our younger generation also become alien to our culture. There are a number of channels and all that. I do not know which one of them you can switch on and see with your family and children. I am very sorry to say that. There are lot of TV channels, CTV and all that. I have not allowed those to enter my house.

SHRI RAM NAIK: They are going into other houses also.

PROF. P.J. KURIEN : That is what I am saying. I have not alowed those to enter my house because I know that if you switch on especially in the nights, what is being broadcast is nothing but vulgarity and obscenity and what not. I may have some difference with the hon. Minister on many things. I may have difference of opinion with the hon. Minister on this point also. But I am one who welcomed your statement when you became the Minister that you will have some control on this kind of media propaganda.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जिन सदस्यों ने बोला है, वे जवाब सुनने के लिए जरूर बैठें।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैडम, डिनर भी दीजिए।

(Interruptions)Let me complete. Please do not disturb me. What can I do? They are giving running commentaries.

I would like to know how you would ensure and address to this concept which I have expressed whether this Bill has autonomy or Ordinance has autonomy. This is the first point I would like to know. How do you ensure that the programmes which are through the Doordarshan at least are those which will emanate and generate some kind of pride among our youths? Is there any way by which you can control these alien, vulgar, obscene media bombardment that is coming to this country? How do you ensure that? Please address to this quesyion.

The second point which I would like to make is this. The hon. Minister said that she is one who does not want to bypass Parliament. She wants the Bill to come through Parliament. I welcome and I am happy that in the Business Advisory Committee also, this assurance was given that Parliament will not be bypassed and that the legislative process that has been set in motion today will be taken to its logical conclusion and that the Bill will be passed by Parliament only if it is passed in the Lok Sabha, then taken to Rajya Sabha and passed there also. So, it was assured to us that that process will be adopted and that no shortcut method will be adopted. Please ensure also, as you said that you want the Parliamentary process and that you do not want a shortcut method and, for that matter, you criticised your predecessor Shri S. Jaipal Reddy also.

Therefore, I hope she will stick to that assurance. I would also further like to clarify one point. We said that we may have differences of opinion in respect of the Bill but we would allow the Bill to be passed. So far, there were objections and all that. But we will allow that the Bill be passed. That is why, my dear friend Shri Khanduri, I have not issued a whip and ensured the presence of my Members. It is not that our Members are not interested. I did not issue a whip because I want to honour the commitment given to you. But let me see you also honour the commitment given to us.

The third point which I would like to make is that much has been said about the hon. Minister Shrimati Sushma Swaraj's discussion with the Opposition Parties. I have also had the privilege of having a discussion with Shrimati Sushma Swaraj. Some offer was made. That was about the constitution of the Selection Committee. I thought that she would move an amendment to the Bill with regard to the constitution of the Selection Committee. I do not know whether she has gone back on that offer. About the offer, I need not spell out here. Madam, you yourself know what is the offer to enlarging the Selection Committee...(Interruptions) Please have some patience. This is such an important Bill. If I am not making a sense, then I sit down...(Interruptions) They should know. It is I who said that two hours' time can be extended to complete the business. It is to cooperate with them. But they do not understand.

MR. CHAIRMAN : Prof. Kurien, please conclude now.

... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN : If they do not understand what is cooperation, then, I am sorry...(Interruptions)

Coming to my point, I thought that the hon. Minister would bring forward an amendment expanding the Selection Committee. I would like to know whether she sticks to that or she goes by this.

Sir, these are the only three questions which I wanted to put. I hope the hon. Minister will reply to these questions.

*m10

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, कुल जमा आठ संसद सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं सबसे पहले तो सब का धन्यवाद करती हूं।

कुछ विषय साझे तौर पर उठाये गये हैं, दोहराये गये हैं, कुछ विषय अलग-अलग उठाये गये हैं। मैं चाहूंगी कि हर प्रश्न का, जो यहां उठाया गया है, उसका उत्तर यथाशक्ति दे दूं।

सबसे पहले जयपाल रेड्डी जी ने दूसरी तरफ से चर्चा की शुरूआत की। मैंने जयपाल रेड्डी जी के अच्छे भाषण भी सुने हैं और उन्हें सराहा भी है, लेकिन आज या तो अपने पीछे समर्थन न दिखने के कारण और खास तौर पर लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी का समर्थन हट जाने के कारण वे इतने हताश और निराश हो गये थे कि आज उनका भाषण सुनकर मुझे भी निराशा हुई। उनके भाषण का पहला पार्ट तो पूर्ण रूप से असत्य का पुलिन्दा था और दूसरा पार्ट स्वयं को महिमामंडित करने का भरपूर प्रयास था। उन्होंने खड़े होते ही पहले मुझसे यह आश्वासन चाहा कि मैं पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को स्कटल नहीं करूंगी और यह बिल राज्य सभा में लेकर जाऊंगी। जयपाल जी, जब आप यह बात कर रहे थे तो मुझे रामायण की वह चौपाई याद आ रही थी, 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।' आप तो न लोक सभा में ले गये, न राज्य सभा में। सम्मन हुई पार्लियामेंट में अध्यादेश किया, केयर टेकर गवर्नमेंट ने अध्यादेश किया और मुझसे आप यहां बैठकर

... (व्यवधान)

केयर टेकर गवर्नमेंट थी। मैं तारीख बता देती हूं, जब आपने आर्डिनेंस प्रोमलगेट किया। आपकी सरकार जा चुकी थी। ... (व्यवधान) हां, रीप्रोमलगेशन ही कह रही हूं। मैं शब्द का सही इस्तेमाल कर रही हूं। मुझसे ये आश्वासन मांगते हैं कि मैं राज्य सभा में ले जाऊंगी। आप सब को मालूम है, मैंने तो बिल राज्य सभा में ले जाने के लिए ही २१ जुलाई को लगवाया था।

२१ जुलाई को आर्डर पेपर में, इस सदन की कार्यसूची में बिल लिस्टेड था। २२ तारीख को चर्चा कराते, २३ तारीख को चर्चा कराते। उसके बाद ५ तारीख तक दो सप्ताह राज्य सभा चली। निश्चितरूप से बिल राज्य सभा में जाता, लेकिन आपने बी.ए.सी. में झगड़ा किया, आपने कहा कि बिल स्टेंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, तो उसके बाद रिक्वेस्ट करके, रिफरबैक कराकर मैं वापस बिल यहां लेकर आई। अगर राज्य सभा की बी.ए.सी. के पास समय है तो वह तय करे। मैं यहां कैसे आश्वासन दूं आपको, तीन दिन का सत्र है। अगर राज्य सभा के चेयरमैन कहते हैं, तो ठीक है। मैं तो लोक सभा से पारित कराकर बिल वहां ले जाऊंगी। समय उनको तय करना है, उनके पास समय होगा तो बिल आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन आप मुझ से यह आश्ववासन चाहते हैं कि मैं राज्य सभा में ले जाऊंगी। मेरी नीयत में खोट होता तो बिल आखिरी दिन लाती। आपने यह भी एक असत्य बात कही कि मैं ६ जून को लाई, उसके बाद मैं सो गई।

I slept over the Bill.

अच्छा हुआ यहां आज बहुत कम लोग हैं। लेकिन अच्छा हुआ कम से कम प्रोफेसर कुरियन बैठे हैं। प्रोफेसर कुरियन जी, आप साक्षी हैं इस बात के कि मैंने आपसे कहा था कि फिर २१ दिन का ब्रेक आ जाएगा, पहले खंड में ही बिल पारित करवा लें। मैंने भरपूर कोशिश की कि पिछले सत्र में बिल लगे और पारित हो। लेकिन हर तरह से स्कटल करने की कोशिश की गई। इस बार भी यह जिद थी कि बिल स्टेंडिंग कमेटी को चला जाए और संसद में चर्चा के लिए नहीं आए। मैंने कहा कि अगर स्टेंडिंग कमेटी में जिसमें १०, २० या ४५ सदस्यों के बीच जाना है तो क्यों न ५४० सांसदों के बीच में जाए। मैं तो ५४० सांसदों के बीच में चर्चा कराने को तैयार थी। आप मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं संसदीय समिति के प्रस्ताव को स्कटल करना चाहती हूं। अगर आप २१ को लगा बिल २२-२३ को पास कराते तो निश्चित ही राज्य सभा में जाता। मैं नहीं कह सकती कि राज्य सभा की बी.ए.सी. के पास इस बिल के लिए समय है या नहीं।

जैसा मैंने कहा था कि दो-तीन बातें दो-तीन लोगों ने कहीं, जयपाल रेड्डी जी का जवाब इसमें आ गया है। हन्नान मोल्लाह जी ने भी यही बात कही थी, आपकी मंशा साफ नहीं है और बैठते-बैठते कुरियन साहब ने यह प्रश्न उठाया, आप तीनों की बातों का मैं समाधान इसमें कर रही हूं।

जहां तक आपने कहा कि आपने संसदीय समिति इसलिए स्कटल कर दी कि तब स्टेंडिंग कमेटी नहीं थी, अब आ गई है। आपके जो हावभाव थे कहने के, हमारे यहां राम नाईक जी बहुत आब्जर्व करते हैं, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया और बीच में इंटरवीन करके कहा कि आपने संसद को थोड़ा बिलिटिल करने की कोशिश की। यह सही है, आपके यही हावभाव थे। आपने कहा कि इस पर स्टेंडिंग कमेटी बैठेगी, प्रसार भारती पर कंसलटेटिव कमेटी बैठेगी, अब उसके ऊपर फिर कमेटी बैठेगी।

SHRI S. JAIPAL REDDY: How many Committees?

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि कितनी कमेटी हैं। कंसलटेटिव कमेटी का यह काम ही नहीं है। आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। जहां तक स्टेंडिंग कमेटी का सवाल है, आप जानते हैं कि स्टेंडिंग कमेटी आई.बी.एम. की और कम्युनिकेशन की इकट्ठी कमेटी है। अगर वह प्रसार भारती को देखने लगेगी तो शायद एक वर्ष में एक दिन प्रसार भारती को देखने का उसे समय मिलेगा और वह भी एक घंटे का समय मिलेगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्यों?

श्रीमती सुषमा स्वराजः क्यों इसलिए कि आई.बी.एम. के बहुत विंग हैं, कम्युनिकेशन के उससे ज्यादा विंग हैं। दोनों को मिलाकर एक कमेटी बनी हुई है जो बजट के दिनों में केवल बजट देखती है, डिमांड फार ग्रांटस देखती है। उसके बाद एक-एक विषय को लेने लगे तो एक साल में प्रसार भारती का नम्बर आएगा। इसलिए यह कहना कि स्टेंडिंग कमेटी पर्याप्त होगी, यह सही नहीं है। आपको मालूम होगा कि जब संसदीय समिति का प्रोविजन आया था तो उपेन्द्र जी ने कहा था कि ठकोपू' के घेरे में न आए, अलग से स्टेटस मिले इसके लिए संसदीय समिति का प्रावधान किया गया। यह प्रस्ताव इधर से आया था, माना इधर से गया था। उस समय ये लोग इधर बैठते थे, लेकिन कांग्रेस का प्रस्ताव था, बी.जे.पी., सी.पी.आई. और सी.पी.आई. (एम.) ने स्वीकार किया था। तब यह संसदीय समिति आई थी, जिसको आपने स्कटल कर दिया, इस नाम पर कि स्टेंडिंग कमेटी आएगी। मैं समझती हूं आपको अपने इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया। एडिटोरियल की मुबारकवाद आपने दी, इसके बाद जो भी एडिटोरियल आएंगे वह भी मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगी।

सभापति जी, जहां तक चाको भाई का सवाल है, शायद मैंने इससे पहले इतनी हल्की बहस नहीं सुनी। मुझे दुख है यह बात कहते हुए कि इतने हल्के स्तर पर वे उतर आए। उन्होंने सबसे पहले बात ही गलत शुरू की कि रूलिंग पार्टी चर्चा से भाग रही थी। आप साक्षी हैं चेयर पर बैठे हुए, मैंने बिल मूव करते हुए एक बार भी नहीं कहा कि बिना चर्चा के यह बिल पास हो। यह प्रस्ताव उधर से आया था, विपक्षी बैंच से आया था, दो नेताओं की तरफ से आया था। मैंने रिस्पांड करते हुए कहा कि अगर हाउस चाहे तो ठीक है, वरना मैं चर्चा के लिए आठ घंटे भी बैठने को तैयार हूं। फिर भी उन्होंने इस बात से अपनी बात प्रारम्भ की कि रूलिंग पार्टी चर्चा से भाग रही थी। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने ऐसे हावभाव पैदा किए कि शायद जयपाल रेड्डी जी ने तो ५ प्रतिशत बिलिटिल किया था, लेकिन आपने ९९ प्रतिशत बिलिटिल किया है। मैं बताना चाहती हूं आपने कहा कि ये लोग व्हिप के कारण बैठे हैं, ये चर्चा में रुचि नहीं रखते हैं।

It is a reflection on your fellow colleagues.

जो लोग यहां बैठे हैं, कितने इत्मीनान से चर्चा को सुन रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, अपना नाम बोलने के लिए दिया है।

21.00 hrs.

आप कहते हैं:

They are not interested in the discussion.

जबकि उन्होंने बोलने के लिए नाम दिए हैं। आपने कहा कि वे केवल व्हिप के कारण बैठे हैं और पार्लियामेंटरी कमेटी को प्रोपेगेंडा मीडियम के लिए हथियार बनाया गया। अच्छा हुआ जो मोहन सिंह जी बोले। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मोहन सिंह जी का भाषण मैनिपुलेटेड सपोर्ट का भाषण था? क्या लालू यादव जी का भाषण मैनिपुलेटेड सपोर्ट का भाषण था? आपने आरोप लगाया कि पार्टी ऑफिसेज में जाकर समर्थन मैनिपुलेट किया गया है। आप बताएंगे कि मैं किस पार्टी ऑफिस में गई थी? कंसेंसस की बात आप लोग करते हैं। हर विवादास्पद बात पर आप कहते है कि कंसेंसस से काम चलाइए। उस कंसेंसस की भावना को आगे बढ़ाते हुए मैंने फ्लोर लीडर्स को बुलाया। मैंने किसके पार्टी ऑफिस में जाकर बात की? मैंने शरद पवार जी को बुलाया क्योंकि वह लोक सभा के फ्लोर लीडर हैं। मैंने मनमोहन सिंह जी को बुलाया क्योंकि वह राज्य सभा में फ्लोर लीडर हैं। मैंने संगमा जी को बुलाया क्योंकि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उपेन्द्र जी को बुलाया क्योंकि आज वह आपकी पार्टी में हैं मगर इस बिल को लाने वाले वह थे। क्या यह मैनिपुलेशन है? मैंने सी.पी.एम. के श्री सोमनाथ चटर्जी जी को बुलाया क्योंकि वह यहां के फ्लोर लीडर हैं। मैंने विप्लव दास गुप्ता जी से बात की क्योंकि वह वहां के लीडर हैं। मैंने सी.पी.आई. के इंद्रजीत गुप्ता जी से बात की क्योंकि वह यहां के फ्लोर लीडर हैं। मैंने गुरुदास दासगुप्ता जी से बात की क्योंकि वह वहां के फ्लोर लीडर हैं, इन सबको अपने यहां बुलाकर बात की। मैं किसी पार्टी ऑफिस में नहीं गई। मैंने कहीं समर्थन की भीख नहीं मांगी। कंसेंसस की बात करते हुए मैंने सभी पार्टी के लीडर्स को कमरा नं. ६२ में बुलाया जहां अपनी बात रखी और आप कहते हैं कि यह मैनिपुलेटेड सपोर्ट है। जिस समय मोहन सिंह जी बोल रहे थे, एक-एक शब्द उनके हृदय से निकल रहा था। वह निष्ठा से बोल रहे थे। आप मुझे ऑटोनॉमी का सबक सिखाएंगे? कम से कम ऑटोनॉमी का सबक मैं चाक्को जी से नहीं सीखने वाली। उधर बैठने वाले कांग्रेसियों से मैं अटॉनोमी का सबक नहीं सीखने वाली।

जिस बिल को दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित किया, उस बिल को सात साल तक आपकी सरकार ने ठंडे बस्ते में दबाए रखा। उस बिल को मोटीवेट किया जाए, जिसके लिए मैं और जयपाल जी खाक छानते रहे। आज आप इधर बैठकर मुझे ऑटोनॉमी का सबक सिखाएंगे? आज आप मुझे बताएंगे कि मीडिया की ऑटोनॉमी की प्रतिबद्धता क्या है? मैं जयपाल जी को बताना चाहती हूं कि यह मीडिया की ऑटोनॉमी इधर से नहीं निकली। यह विचार १९७७ का है जिस समय और कोई नहीं आडवाणी जी हिन्दुस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जिस बात को थोड़े संकोच से सुरेन्द्र जी ने कहा लेकिन बाद में मोहन सिंह जी ने कह दिया कि जब हम लोग इमर्जेंसी समाप्त करके, संघर्ष समाप्त करके जयप्रकाश जी के आंदोलन में उनके साथ रहकर यहां आए थे, हमारा लक्षय था कि हम उस मीडिया को सरकारी जकड़ से निकालें। उस समय बात हुई थी। आडवाणी जी ने उस समय इसे प्रसार भारती का नाम दिया था। तेरह साल रहकर आप लोगों की सरकार गई। वापस जब गैर-कांग्रेसी सरकार आई तो बिल पारित हुआ। लेकिन गैर-कांग्रेसी सरकार के जाते ही आपकी सरकार आई तो आपने बिल नोटिफाई नहीं किया। सात साल तक दबाए बैठे रहे। आपके प्रवक्ता का वक्तव्य भी रिकार्ड पर है कि मीडिया को ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए और आज के समय में तो बिल्कुल नहीं क्योंकि सैटेलाइट चैनल्स आ गए हैं। बहस में मैं और जयपाल जी इकट्ठा थे। गाडगिल जी साफ-साफ कहते हैं कि ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए, आपके बाकी लोग भी कहते हैं कि नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं उस विचार की कद्र नहीं करती।

I can agree to disagree.

अगर आपका यह विचार है कि सरकारी कंट्रोल रेडियो और दूरदर्शन पर बना रहना चाहिए तो यह विचार आपके हो सकते हैं। आपको पूरा हक हासिल है। लालू यादव जी के विचार ऑटोनॉमी के बारे में बदले हैं। शायद वह ऑटोनॉमी के दुरुपयोग के भुक्तभोगी हैं। उनको भी उनके विचार मुबारक हो। वे अपने विचार रख सकते हैं लेकिन कम से कम ऑटोनॉमी समाप्त करने के लिए लोग खड़े होकर हमें ऑटोनॉमी का सबक न सिखाएं। ऑटोनॉमी के प्रति मेरी और मेरी सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्टता से आगे जाकर उजागर हुई है।

`Autonomy with accountability'

मैं जवाबदेही के साथ स्वायत्तता लाना चाहती हूं, इसलिए यह बिल लेकर आई हूं। लेकिन स्वायत्तता को डाइल्यूट करना चाहती हूं, यह भनक दूर तक नहीं रहनी चाहिए। लालू यादव जी की बात मैंने कह दी, वह ऑटोनॉमी के दुरुपयोग के भुक्तभोगी हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। हन्नान मोल्लाह जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूं, आपने उम्र के बारे में पूछा है कि टेलीकॉम ऑथोरिटी के चेयरमैन की उम्र क्या है?

आपने काउन्सिल की उम्र के बारे में कहा। मैं अदब से हन्नान मोल्लाह जी को बताना चाहती हूं कि प्रसार भारती के चेयरमैन की उम्र नहीं है। यह सवाल कार्यकारी अधिकारी के बारे में हो रहा है। जहां तक चेयरमैन का सवाल है, चेयरमैन के लिए उम्र का कोई औचित्य भी नहीं है। प्रसार भारती के चेयरमैन निखिल चक्रवरती जी की उम्र ८५ बरस की थी, कभी एक शब्द भी उनकी उम्र के बारे में नहीं कहा गया।

CEO

कार्पोरेशन का एम्पलायी होता है। मुझे किसी संस्था के एम्पलायी के बारे में बता दीजिए कि उनकी रिटायरमेंट की एज होती है या नहीं। रियारमेंट की एज **CEO**

कार्पोरेशन एम्पलायी के नाते रखी गई है। चेयरमैन यहां भी बिना उम्र के हैं। इसलिए आपकी इस धारणा में यह बात नहीं बैठती है और प्रसार भारती में भी चेयरमैन की कोई उम्र नहीं है। आपने नीतीश सैनगुप्त के बारे में कहा। जयपाल रेड्डी जी जानते हैं, नीतिश सैनगुप्ता की रिपोर्ट के बारे में चर्चा भी नहीं हुई है, न मानना तो बहुत दूर की बात है। अगर इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई होती, तो आर्डिनेंस किसी और ढंग का बनता, इस ढंग का नही बनता।

आपने बोर्ड में स्टेट रिप्रजैंटेशन की बात कही है। मुझे लगता है कि जो चयन समिति है, वह निश्चित तौर पर इस बात का ख्याल रखेगी कि इस तरह की बाडी में सभी रीजनल रिप्रजेंटेशन हों। जहां तक सुरेन्द्र जी का सवाल है, मैं उनको धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बिल का भरपूर समर्थन किया है।

श्री लालू प्रसाद : जो सपोर्ट किया है, वह तो रहना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, मोहन सिंह जी के भाषण की मैं पहले ही दाद दे चुकी हूं। बहुत ही मानसिक वेदना से और अन्तरनिष्ठा से बोल रहे थे। लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहती हूं। आपको प्रवोकेशन इतनी सी बात से हो गया कि तीन सौ करोड़ रुपए की सम्पत्ति पांच हजार करोड़ रुपए में। मैं उनको बताना चाहती हूं कि दो हजार करोड़ रुपए का वार्षिक बजट है और ४० हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्पत्ति ट्रांसफर हुई है।

जहां तक प्रो. कुरीयन जी के प्रश्नों का सवाल है, उन्होंने तीन प्रश्न किए हैं। एक का जवाब, जो कि राज्य सभा से संबंधित था, वह मैंने जयपाल जी की बात का जवाब देते हुए दे दिया था। जो आपका सबसे पहला कन्सर्न है, मैं हैरान हूं कि आपके इस कन्सर्न पर आपकी ही पार्टी के मैम्बर ने शेयर नहीं किया। चाको साहब ने यह नहीं कहा था कि सैटेलाइट चैनल का मुकाबल कैसे करेंगी, बल्कि उन्होंने ब्राडकास्टिंग काउन्सिल की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि इसकी जरूरत क्या है, एज-ऑफ-इन्फार्मेशन में तो कुछ रुक नहीं सकता है। जो कुछ आएगा, वह सब दिखाया जाएगा। मैं चाको साहब को बताना चाहती हूं कि यह सरकार असहाय नहीं है, निश्चित रुकेगा। यह कैसे रुकेगा, उसके बारे में मैं आपको प्रावधान बता देती हूं। केवल दूरदर्शन पर ही नहीं, सैटेलाइट चैनल का सांस्कृतिक प्रदर्शन भी रुकेगा। आपने कल्चरल इवेजन की बात कही है, मैं उसी की हिन्दी करके सांस्कृतिक प्रदर्शन की बात कह रही हूं, लेकिन चाको जी समझते हैं कि कोई इवेजन नहीं हो रहा है।

SHRI P.C. CHACKO : Madam, you are talking in Parliament. Why do you promise what you cannot do? (Interruptions) It is impossible. I know very well that you cannot do it.

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपके लिए इम्पोसिबल होगा, लेकिन इस सरकार के लिए इम्पोसिबल नहीं है। हम इसको पोसिबल करके दिखायेंगे। प्रोफैसर कुरीयन जी हम ब्राडकास्टिंग बिल ला रहे हैं, जिसमें मैंडेटरी अप-लिंकिंग का प्रावधान है। इस बात को जयपाल रेड्डी जी जानते हैं। मैंनडेटरी अपलिंकिंग में जो भी सैटेलाइट चैनल यहां आएगा, उसको भारतीय भूमि से अपलिंक करना होगा। जब भारतीय भूमि से अपलिंक करेंगे, तो वह हमारे एडवर्टिजमेंट कोड से गवर्न होगा और हमारे प्रोग्राम कोड से गवर्न होगा। जो हमारे कोड का उल्लंघन करेगा, जो हमारे एडवर्टिजमेंट कोड का उल्लंघन करेगा, उस लाइसैंस कैंसिल करने का भी अधिकार इस सरकार को होगा। मामला हिन्दुस्तान की कोर्टस में ले जाकर शुरू किया जा सकेगा। इसलिए आपका कन्सर्न मैं पहले से शेयर करती आई हूं, सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी और उसी चिन्ता को मैंने व्यक्त किया है।

SHRI S. JAIPAL REDDY : Will you yield for a moment?

THE MATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Yes, I will.

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHBUBNAGAR): I do not have any question on this Bill.

In the 1990 Act, the role of a regulator has also been conferred on the Prasar Bharati because at that time nobody could envisage the mushroom growth of private channels which the 1990s witnessed. Later, we all felt the need for a Broadcasting Authority about which you have not taken any step whatsoever. Do I therefore assume or conclude that the Prasar Bharati will also be a regulator?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): जयपाल जी, मैंने आपसे कहा कि अगर इस समय प्रसार भारती लाना न पड़ता तो मैं इसी बार ब्राडकास्टिंग बिल ही लाती, जिसमें ब्राडकास्टिंग रेगुलेटरी आथोरिटी की व्यवस्था है। आपको मालूम है कि पिछली बार जो आपका ब्राडकास्टिंग बिल था वह जेपीसी को गया था और जेपीसी में बहुत एविडेंस थे लेकिन उसमें से थोड़ा एविडेंस आया। इसके पहले कि चर्चा शुरू हो सकती, लोकसभा डिजोल्व हो गई। इसलिए अब उसी एविडेंस के आधार पर मैं उस बिल को मोडीफाई कर रही हूं। जहां तक ब्राडकास्टिंग बीआरएआई का सवाल है, तमाम चीजों को लाकर अगले सत्र में ब्राडकास्टिंग बिल लाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसलिए वह बिल सेटल नहीं हुआ है।

... (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHBUBNAGAR): My doubt is, since the 1990 Act is being restored to its prestine shape, the role of regulator will be retained in the Prasar Bharati. In the Ordinance I have removed all such things that conform regulatory power to Prasar Bharati.

श्रीमती सुषमा स्वराज : जब तक नया ब्राडकास्टिंग बिल नहीं आता तब तक यह चलेगा, जब नया ब्राडकास्टिंग बिल आ जाएगा और नई रेगुलेटरी आथोरिटी बन जाएगी, उस समय ये दोनों चीजें बाइफरकेट हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब एक भी प्रश्न किसी का बाकी बचा हो, जिसका उत्तर मैंने नहीं दिया हो।

... (व्यवधान)

आपके दो प्रश्न थे- एक आपने राज्यसभा वाला प्रश्न पूछा था और दूसरा आपने सेटेलाइट चेनल्स के बारे में पूछा था।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let the Minister complete the reply.

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपके यही प्रश्न थे, और कोई प्रश्न नहीं था। हां, आपका एक सवाल और था। आपका एक सवाल यह था, जब हमने बातचीत की थी तो मैंने कोई आफर की थी। उसके बारे में आपने पूछा कि मैं अमेंडमेंट ला रही हूं या नहीं। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैंने आफर नहीं की थी, मैंने आपकी आफर को रेसपोंड किया था। आपने यह कहा था कि यह जो सलैक्शन कमेटी है, क्या इसका दायरा बड़ा हो सकता है और इसमें लीडर आफ अपोजिशन आ सकते हैं, मैंने कहा कि अगर लीडर आफ अपोजिशन आएंगे तो लीडर आफ हाउस भी आएंगे। आपने कहा ठीक है। उसके बाद आपके अपने घर में झगड़ा हो गया और आपके यहां लीडर आफ अपोजिशन का पावर ग्रुप अलग बन गया, दूसरा पावर ग्रुप अलग बन गया। आपने उस आफर को वहीं छोड़ दिया, दोबारा कभी आकर उस आफर के बारे में मुझ से बात नहीं की। मैंने यह भी कहा था कि जहां तक अमेंडमेंट का सवाल है, आप अमेंडमेंट ले आइए, मैं स्वीकार कर लूंगी, यह बात हुई थी। लेकिन बाद में खुद ही आपके लोगों ने कहना शुरु कर दिया कि यह अमेंडमेंट मत लाइए। लीडर आफ अपोजिशन लेंगे तो फलां आदमी आएगा और हम नहीं चाहते कि वह आए। इसलिए आप लोगों के यहां से पावर स्ट्रगल ने उस आफर को समाप्त किया। अमेंडमेंट आपने लाना था, हमने स्वीकार करना था। ... (व्यवधान)

PROF. P.J. KURIEN : Why should I come to you again when you have already accepted my suggestion? You yourself should have brought the amendment.

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप अमेंडमेंट लाइए। मैं सदन में कहना चाहती हूं, ... (व्यवधान)

PROF. P.J. KURIEN : You have said that you have accepted that suggestion.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं कह रही हूं कि अगर आप अमेंडमेंट लाते तो मैं स्वीकार करती। मैंने अपने सब नेताओं से बात कर ली थी कि अगर लीडर आफ अपोजिशन अमेंडमेंट लाएंगे।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : मेरा सजेशन आपने स्वीकार कर लिया।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां, बिलकुल स्वीकार कर लिया था।

प्रो. पी.जे. कुरियनः तो आप ही अमेंडमेंट ले आतीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं सरकारी अमेंडमेंट क्यों लाऊं।

... (व्यवधान)

आपके घर वालों ने कहा, आप ही की पार्टी वालों ने कहा कि अब हमारी यह आफर नहीं है, हमारे घर में झगड़ा हो गया है, अब हमको लीडर आफ अपोजिशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं वह अमेंडमेंट नहीं लाई।

SHRI S. JAIPAL REDDY : I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: Let the Minister complete the reply.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, यदि वह अमेंडमेंट आता,

... (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY : I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: You cannot raise a point of order during the course of the reply. I will give you a chance later.

श्रीमती सुषमा स्वराज : यदि यह अमेंडमेंट कांग्रेस की तरफ से प्रो. कुरियन जी की तरफ से आता तो मैं निश्चित रेसपोंड करती और मैं आपसे कह रही हूं कि मैंने अपने यहां सबसे बात कर ली थी, मैं पोजिटिवली रेसपोंड करती लेकिन आप तो अमेडमेंड लेकर आए नहीं, इसलिए मेरी तरफ से अमेंडमेंट आने का प्रश्न कहां पैदा होता है।

सभापति जी, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अब मैं सबसे चाहूंगी, चाहे किसी ने विरोध में भाषण दिया तो भी अच्छा यह होगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Shri Jaipal Reddy, what is your point of order?

SHRI S. JAIPAL REDDY : My point of order is this. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: What is your point of order?

... (Interruptions)

SHRI S. JAIPAL REDDY : I would like the hon. Minister to note this. In the course of the discussion in the House, no Minister or a Member is supposed to quote a private conversation. ... (Interruptions)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: He only quoted. I did not quote. ... (Interruptions) I only said,

कि मैंने एक ऑफर की थी आप खुलासा करिये कि उसका अमैंडमेंट ला रही हैं या नहीं। बाद में भी उन्होंने कहा कि आपने रैस्टोर नहीं किया।

SHRI S. JAIPAL REDDY : Whosoever has done it, it is wrong.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: He has done it. I have only responded.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Anyway, you may note it.

PROF. P.J. KURIEN : I did not say about any offer. Let me clarify. What I said was, some suggestions for enlarging the Selection Committee. I was asking for her reaction. I did not say about any offer.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I reacted.

PROF. P.J. KURIEN : You said about some offer.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: No. You said that.

आप निकलवाइये। ... (**Interruptions)**

श्री लालू प्रसाद : हम लोग तो सुषमा जी बिना आपके सम्पर्क किए, न आपने सम्पर्क किया, न कार्यालय में बुलाया, फिर भी हम इसको पास कर रहे हैं। चयन समिति में लीडर अपोजीशन और आपने कहा कि लीडर हाउस हो जाएं।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराजः इन्होंने कहा।

श्री लालू प्रसाद : जिन्होंने कहा। जब इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो हम लोग तो बैठे हैं।

MR. CHAIRMAN : Okay. Now, we shall take up amendment to motion for consideration. Amendment No. 1, Shri Varkala Radhakrishnan. Are you moving your amendment?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Yes. I am moving.

Sir, I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 7th September, 1998." (1)

I moved my amendment because let the public have a say in the matter, since it is a question of autonomy. I press my amendment also.

MR. CHAIRMAN: Shri A.C. Jos - Not present.

Dr. T. Subbarami Reddy - Not present.

Shri Anand Pathak - Not present.

MR. CHAIRMAN: I shall put amendment No.1 to the Motion for Consideration, moved by Shri Varkala Radhakrishnan to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3

MR. CHAIRMAN: There is an amendment by Shri Suresh Kurup.

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, I move my amendment and I also want to speak.

I beg to move:

Page 3,--

for lines 26 to 28,--

substitute--

"(i) three representatives of the employees of the Corporation of whom one shall be elected by the engineering staff from amongst themselves, one shall be elected by the programme staff from among themselves and one shall be elected by the other employees from amongst themselves." (18)

... (Interruptions) Why are you so impatient?

Sir, there is a provision in the Bill for electing two representatives from the staff of AIR and Doordarshan, one from among the engineering staff and another from the rest of the staff. The programme cadre is the most important factor in both AIR and Doordarshan. Since they are in a minority, they may not get elected to the Prasar Bharati Board. So, my suggestion is that the number of representatives of the employees should be three, one from the engineering staff, another from the programme cadre and the third from the rest of the staff.

I seems that Shri Jaipal Reddy had earlier given an assurance to the employees to that effect. So, my request is that the Government should accept this amendment.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall put amendment No. 18 to Clause 3, moved by Shri Suresh Kurup to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5

MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, are you moving your amendment?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I beg to move:

"Page 4, line 19,--

for "sixty-two years"

substitute "sixty-five years" (2)

"Page 4,--

omit lines 20 to 25." (3)

"Page 4,--

omit lines 34 and 35." (4)

Lines 20 to 25 are not essential and so, they may be omitted.

MR. CHAIRMAN: Dr. Subbarami Reddy, Prof. Rupchand Pal and Shri Banatwalla are not present.

Now, I shall put amendment Nos. 2,3 and 4 to clause 5 moved by Shri Radhakrishnan to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 9 were added to the Bill.

Clause 10

MR. CHAIRMAN: Dr. Subbarami Reddy and Shri Banatwalla are not present.

The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11

MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, are you moving your amendments?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I beg to move:

"Page 8, lines 13 to 15,--

for "oversee that the Corporation discharges its functions in

accordance with the provisions of this Act and, in particular, the objectives set out in section 12 and submit a report thereon to Parliament"

substitute--

"advise on policy matters" (5)

"Page 8, line 17,--

for "Speaker of the House of the People"

substitute "Central Government" (6)

I am moving my amendments because it is stated that the Parliament Committee nominated under the statute is to oversee the functions of the body. It shows that it will have to supervise and the autonomy will be curtailed. That is my view. For that purpose, I want to remove "oversee" and insert "advise on policy matters". The Committee that is constituted will have the powers of advice on policy matters and not to supervise the function because it is a matter concerning technicalities. Broadcasting, televising, etc. are included under technicalities. It will not be proper for the Committee to advise on technicalities. They can advise on policy matters. So, my amendment is that the word "oversee" or to supervise must be deleted and the words "advise on policy matters" must be substituted in its place. `Oversee' means to completely supervise...(Interruptions)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): She does not believe in autonomy. Why are you trying to persuade her?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I press my amendment.

Sir, the Speaker of the House of the People need not be dragged on to this process. In that place, the Central Government may do this function. It is not feasible.

Why should the Speaker, who is a non-party person here, be dragged on to this process? So, the Central Government should take up the responsibility and not leave it to the Speaker who is above party considerations and other matters. Whether you agree or not, but I am sure that it will be agreed to in future.

MR. CHAIRMAN: I now put amendment Nos. 5 and 6 to clause 11 moved by Shri Radhakrishnan to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13

MR. CHAIRMAN : Shri Varkala Radhakrishnan. Clause 13, Amendment Nos. 7 and 8.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I beg to move:

Page 9, line 36, -

after "default" insert -

"even after due notice" (7)

Page 9, line 38 -

for "thereof"

substitute "with the reply received from the

Board, if any" (8)

MR. CHAIRMAN: Now I will put amendment Nos. 7 and 8 moved by Shri Varkala Radhakrishnan to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 13 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clauses 14 to 18 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

____

*m07

">

">SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): I am standing before this House to oppose the Bill presented by Shrimati Sushma Swaraj. Sir, intolerance was shown by the ruling Party...(Interruptions)..